

**नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं**

**का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

**अवधि 1.04.2015 से 31.03.2017**

**भाग – एक**

**1 ( क) प्रारम्भिक:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-378/81- फिन(एल० ए०) खण्ड –IV, दिनांक 18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अवधि 1.04.2015 से 31.03.2017 तक नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी निम्नानुसार थे:-

**(1) प्रधान**

| क्र. सं. | विवरण           | अवधि                     |
|----------|-----------------|--------------------------|
| 1        | डा. डेज़ी ठाकुर | 20.01.2011 से 31.12.2015 |
| 2        | श्री ठाकुर दास  | 01/2016 से लगातार        |

**(2) कार्यकारी अधिकारी**

|   |                       |                          |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | श्री अजमेर सिंह ठाकुर | 20.06.2012 से 17.04.2015 |
| 2 | श्री सुधीर शर्मा      | 17.04.2015 से लगातार     |

**(ख) नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.04.2015 से 31.03.2017 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

| क्रम सं. | गम्भीर अनियमितताओं का संबन्धित सार                                                                | पैरा संख्या | राशि लाखों में |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1        | दिनांक 31.03.2017 तक अनुदानों का उपयोग न करना।                                                    | 6.1         | 485.44         |
| 2        | अनुदानों से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया जाना।                   | 6.2         | 3.64           |
| 3        | विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में लेखांकन न किए जाना | 7.1         | 2.12           |
| 4        | दिनांक 31.03.2017 तक गृह कर, सफाई कर दुकानों का किराये की राशि वसूली हेतु शेष।                    | 8.2         | 19.48          |
| 5        | दिनांक 31.03.2017 तक दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु शेष।                                      | 8.6         | 3.51           |
| 6        | दिनांक 31.03.2017 तक सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये के रूप में देय राशि की वसूली न करना।         | 8.8         | 30.95          |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                 |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 7  | भवन नक्शा पारित शुल्क की कम वसूली।                                                                                                                                                               | 8.12                                            | 2.04  |
| 8  | मोबाईल टावर शुल्क से की कम वसूली।                                                                                                                                                                | 8.13                                            | 1.74  |
| 9  | हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना व्यय पर अनाधिकृत रूप से व्यय किया जाना।                                                                | 9.1                                             | 48.68 |
| 10 | कार्य निरीक्षक (Work Supervisor) को वेतन के रूप में अधिक भुगतान                                                                                                                                  | 9.2                                             | 0.51  |
| 11 | नियमों के विपरीत श्री प्रेम कुमार शांडिल Junior Assistant को वेतन के अधिक भुगतान बारे।                                                                                                           | 9.3                                             | 0.09  |
| 12 | पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता से लाइसेन्स फीस की वसूली न करना बारे।                                                                                                                                      | 9.4                                             | 0.07  |
| 13 | लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिये गए विज्ञापनों पर किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व को हुई हानि बारे।            | 11                                              | 0.41  |
| 14 | Steel का Conversion Factor गलत लिए जाने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान                                                                                                                       | 12.1 से 12.5                                    | 0.38  |
| 15 | Rate of Analysis में Labour Rate में 25% की अनावश्यक वृद्धि लेने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ देने बारे।                                                                                      | 12.7 & 12.8                                     | 0.22  |
| 16 | Rate of Analysis में 5.6% की अनावश्यक वृद्धि दर्शा कर संविदाकार को अनुचित लाभ देने बारे।                                                                                                         | 12.9 & 12.10                                    | 0.05  |
| 17 | गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान                                                                                                                                             | 12.6, 12.11 से 12.13, 12.21, 12.24(ख), 12.25(ख) | 0.83  |
| 18 | निर्माण भुगतान बिल से प्रतिभूति की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ दिये जाने बारे।                                                                                              | 12.15                                           | 0.13  |
| 19 | अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e Execution of Excavation in earth work का निष्पादन किए बिना ही मद संख्या 4 i.e Disposal of excavated earth up to lead of 1 k.m हेतु भुगतान संविदाकार को किए जाने बारे। | 12.16                                           | 0.54  |
| 20 | अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e. Cutting in earth work की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान किए जाने बारे।                                                                           | 12.17                                           | 0.08  |
| 21 | अनुबन्ध की मद संख्या 5 i.e. “ Providing and laying 1:2:4 20m.m.” की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान किए जाने बारे।                                                            | 12.18                                           | 0.12  |
| 22 | अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e. Excavation in earth work की                                                                                                                                          | 12.19                                           | 0.07  |

|    |                                                                                                                                                                    |          |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|    | गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान।                                                                                                                |          |       |
| 23 | अनुबंध की मद संख्या 3 i.e “Providing and laying interlocked Paver blocks” की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान                                    | 12.20    | 0.03  |
| 24 | Road Tairing की विभिन्न मदों हेतु अनुमोदित दरों की तुलना में अधिक दर से भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान                                           | 12.22    | 0.13  |
| 25 | Road Tairing हेतु Bitumen की कम खपत के कारण संभावित अधिक भुगतान।                                                                                                   | 12.23    | 0.65  |
| 26 | अनुबंध की मद संख्या 2 “ Excavation in foundation & trenches etc. in earth work(MB 90 P.No. 46,47) के संदर्भ में गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान | 12.24(क) | 0.02  |
| 27 | अनुबंध की मद संख्या 2 “ Excavation in foundation & trenches etc. in earth work(MB 90 P.No. 50) के संदर्भ में गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान    | 12.25(क) | 0.02  |
| 28 | Road Tairing के विभिन्न कार्य की माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करने बारे।                                                             | 12.26    | 0.84  |
| 29 | देरी से निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप अनुबंध की शर्तों के अनुसार संविदाकार से दण्ड की राशि को वसूल न किया जाना।                                     | 12.27    | 4.00  |
| 30 | निर्माण कार्यों को तीन/पाँच लाख से कम भागों में बांटने के कारण संविदाकारों को अनियमित भुगतान करने बारे।                                                            | 12.29    | 55.48 |

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर दर्शाई गई हैं। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा निस्तारण हेतु कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

## भाग -द्वितीय

### 2. वर्तमान अंकेक्षण :-

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, दिनांक 02.05.2017 से 04.07.2017 तक श्री अनिल शर्मा तथा श्री रविंदर सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए मास 04/2015 और 04/2016 एवं व्यय की विस्तृत जाँच के लिए मास 11/2015 और 07/2016 का चयन किया गया।

“वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, परवाणु जिला सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र०, नगर परिषद परवाणु द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।”

**3. अंकेक्षण शुल्क :-**

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण ₹82000.00 शुल्क बना। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 के नाम प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 475/2017 दिनांक 04.07.2017 द्वारा अनुरोध किया गया था।

**4. वित्तीय स्थिति :-**

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क 1” पर दिया गया है तथा बैंक समाधान विवरण भी संलग्न किया गया है।

**5. सावधि निवेश:-**

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न खातों में निवेशित राशि का विवरण परिशिष्ट-“ख” में दिया गया है।

**6. अनुदान:-**

कार्यकारी अधिकारी, परवाणु, जिला सोलन द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अनुदानों से प्राप्तियों व व्यय का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “ग” पर संलग्न किया गया है। अनुदानों से प्राप्तियों व व्यय के विवरण की जाँच करने के उपरान्त इसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई।

**6.1 दिनांक 31.03.2017 तक अनुदानों की शेष ₹485.44 लाख का उपयोग न करना :-**

परिशिष्ट-ग में वर्णित किए गए विभिन्न अनुदानों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अनुदानों की ₹4,85,44,260/- दिनांक 31.03.2017 को उपयोग करने हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक अनुदानों ₹4,85,44,260/- को उपयोग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन अनुदान राशियों को स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार या तो उपयोग किया जाए अन्यथा राशि जिस स्रोत से प्राप्त हुई थी, उन्हें वापिस लौटाया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**6.2 अनुदानों से संबन्धित ₹3.64 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना :-**

परिशिष्ट ("ग) के अनुसार वर्ष" अनुदान विवरण 2016-17 में विभिन्न स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना द्वारा कार्यकारी अधिकारी से उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाया गया जिन्हे आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**7. दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना :-**

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD -H(C )-15-49/2003-III 3332-3379 DT. 25.03.2009, UD -H(C )-15-49/2003-III 9337-9385 DT. 07.09.2009, और पत्र सं. UD -H(C )-15-49/2003-IV 5215-63 DT. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि वह अपने सभी लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से बनायेगी। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लेखा खातों के अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद परवाणु द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 423/2017 दिनांक 26.05.2017 से लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) पर बनाये जाने बारे सूचना देने बारे निवेदन किया गया था। इस बारे में पत्र संख्या एम. सी./परवाणु/अंकेक्षण/2017-920 दिनांक 26.05.2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणू ने सूचित किया गया कि नगर परिषद परवाणू भविष्य में अपने लेखा खातों को दोहरी लेखा पद्धति(Double Entry System on Accural Basis) पर बनाया जाना सुनिश्चित करेगी। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाया जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**7.1 विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज की ₹2.12 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करना :-**

अंकेक्षण में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की पड़ताल करने पर पाया गया कि सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की ₹212424/- (विवरण निम्न दिया गया है।) को रोकड़ बही में लेखांकित करने के स्थान पर अर्जित ब्याज की राशि को मासिक आय विवरण में जमा करके मासिक आय में जमा किया गया था। ऐसा किए जाने के कारण मासिक आय में तो कोई अंतर नहीं आया परंतु अर्जित ब्याज की प्रविष्टि नियमानुसार रोकड़ बही में नहीं की गई थी। इस संबंध

में अंकेक्षण अधियाचना सं. 464/2017 दिनांक 23.06.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र सं. एम. सी./परवाणु/2013-2023 दिनांक 29.06.2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया गया कि भविष्य में अर्जित ब्याज की प्रविष्टि नियमानुसार रोकड़ बही में कर दी जायेगी।

अतः ₹212424/- के अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा उक्त राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाये। निवेशित राशि का विवरण परिशिष्ट- “ख” पर भी दिया गया है।

| Date of investment                                   | Amount invested | Date of Maturity | Amount Received on encashment | Interest earned |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 06.06.2015 SBOP CTO<br>281276                        | 90,00,000/-     | 05.09.2015       | 91,73,897/-                   | 1,73,897/-      |
| 09.03.2017 The Baghat<br>Urban Coop Bank Ltd.<br>PWN | 50,00,000/-     | 07.03.2017       | 50,38,527/-                   | 38,527/-        |
| <b>Total</b>                                         |                 |                  |                               | <b>212424/-</b> |

## 8. आय:-

### 8.1 स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) की कम प्राप्ति :-

अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक आय कम प्राप्त की गई थी जो कि एक अत्यन्त गंभीर वित्तीय अनियमितता है, स्वीकृत बजट प्रावधान अनुसार ही आय एकत्रित की जानी चाहिए थी बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त कम आय का विवरण निम्नानुसार हैं। अतः स्वीकृत बजट प्रावधानों की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) कम प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

| वर्ष    | अपने संसाधनों से प्राप्त आय<br>(Income from own Sources) हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान | अपने संसाधनों से प्राप्त वास्तविक आय<br>(Income from own Sources) | बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त की गई कम आय (Income from own Sources) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015-16 | 46900000.00                                                                        | 33157657.00                                                       | 13742343.00                                                                              |

### 8.2 दिनांक 31.03.2017 तक गृह कर, सफाई कर दुकानों का किराये की ₹19.48 लाख वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण के दौरान गृहकर, सफाई कर, दुकानों के किराये से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को ₹1948058/- वसूली योग्य थी। जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट- घ एवं संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

| क्र. सं. | विवरण          | वसूली योग्य राशि  |
|----------|----------------|-------------------|
| 1        | गृह कर         | 708698.00         |
| 2        | सफाई कर        | 1053410.00        |
| 3        | व्यापार कर     | 185950.00         |
|          | <b>कुल योग</b> | <b>1948058.00</b> |

निदेशक शहरी विकास, हि. प्र. के पत्र सं. यू.एल.बी.एच.(ए)(7)-1 /87-9237-9284 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली अपेक्षित थी लेकिन इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी थी। अतः निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के आदेशों के अनुसार करों की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही वसूली योग्य राशि की वसूली अतिशीघ्र की जाए। कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

### 8.3 गृह कर / संपत्ति कर की मूल्यांकन सूची (Assessment list) में हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार आवश्यक संशोधन न करने के संबंध में।

हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरांत हाऊस टैक्स/संपत्ति कर के संबंध में मूल्यांकन सूची (Assessment List) में वर्तमान स्थिति अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। नगर परिषद परवाणु द्वारा नगर परिषद में निहित क्षेत्र में गृह कर / संपत्ति कर दिनांक 01.01.1988 से अधिरोपित किया गया था। धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार पाँच वर्ष के उपरांत वर्ष 1993-94 में गृह कर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन आवश्यक थे, परंतु जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 424/2017 दिनांक 26.05.2017 से गृह कर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन किए जाने बारे सूचना देने बारे निवेदन किया गया था। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु न पत्र संख्या MC/Parwanoo/2017-1985 दिनांक 23.06.2017 द्वारा सूचित किया गया कि गृह कर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में वर्तमान समय तक कोई संशोधन नहीं किए गए हैं। अतः नियमों की अनदेखी करके नियमित समय पर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

### 8.4 नगर परिषद परवाणु के अधीन क्षेत्र में नये सम्मिलित क्षेत्र के संबंध में गृहकर/संपत्ति कर, सफाई शुल्क की मूल्यांकन (Assessment) न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग, की अधिसूचना सं. एल. एस. जी. – ए (4)-1/78-III दिनांक 17.05.2007 के द्वारा नगर परिषद परवाणु के अधीन क्षेत्र में नये क्षेत्र शामिल किए गए थे। गृहकर /संपत्ति कर, सफाई शुल्क के मूल्यांकन रजिस्टर

(Assessment Register) की पड़ताल करने पर पाया गया कि इन नये शामिल क्षेत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई गृहकर /संपत्ति कर,सफाई शुल्क की Assessment नहीं की गई थी। इस संबंध में अंकेक्षण अध्याचना सं. 425/2017दिनांक 26.05.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/2017-1984 दिनांक 23.06.2017 पर सूचित किया गया कि नये शामिल क्षेत्र के संबंध में अभी तक गृहकर /संपत्ति कर,सफाई शुल्क की Assessment नहीं की गई है और इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। अतः नये शामिल क्षेत्र के संबंध में अतिशीघ्र गृहकर /संपत्ति कर,सफाई शुल्क की Assessment की जाए और अधिसूचना की तिथि से इन क्षेत्र के निवासियों/कारोबारियों से गृहकर /संपत्ति कर,सफाई शुल्क की वसूली की जाए, तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

#### 8.5 गृह कर, व्यापार कर,सफाई कर इत्यादि से संबन्धित माँग एवं संग्रह रजिस्टर का अनुरक्षण वार्षिक आधार पर न किया जाना।

गृह कर, व्यापार कर,सफाई कर इत्यादि से संबन्धित माँग एवं संग्रह रजिस्टर की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि इन सभी करों से संबन्धित माँग एवं संग्रह रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया जा रहा था। गृह कर और सफाई कर के ज़्यादातर मामलों में अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान वार्षिक माँग की प्रविष्टि नहीं की गई थी। इस संदर्भ में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी। परंतु वर्तमान समय तक गृह कर, व्यापार कर,सफाई कर इत्यादि से संबन्धित माँग एवं संग्रह रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। अतः गृह कर, व्यापार कर,सफाई कर इत्यादि से संबन्धित माँग एवं संग्रह रजिस्टर का अनुरक्षण वार्षिक आधार पर न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही करों (Taxes) से संबन्धित माँग एवं संग्रह रजिस्टर का अनुरक्षण वार्षिक आधार पर न किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

#### 8.6 दिनांक 31.3.2017 को ₹3.51 लाख दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष दिनांक 31.03.2017 तक ₹351250/- दुकानों से किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का विवरण निम्न दिया गया है।

| Year    | Opening Balance | Shop Rent              |        | Amount Received during the year | Closing Balance |
|---------|-----------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|         |                 | Demand During the year | Total  |                                 |                 |
| 2015-16 | 302314          | 207024                 | 509338 | 89000                           | 420338          |
| 2016-17 | 420338          | 207024                 | 627362 | 276112                          | 351250          |

#### 8.7 दुकानों से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि सभी दुकानों के साथ नगर परिषद द्वारा किए गए किराये से

संबन्धित अनुबन्ध वर्ष 2009 में ही समाप्त हो गए थे, वर्ष 2009 के उपरांत वर्तमान समय तक किसी भी किराये के अनुबन्ध का नवीनीकरण (Renew) नहीं किया गया था। जबकि नियमानुसार किराये के अनुबन्ध का नवीनीकरण (Renew) वार्षिक आधार पर किया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त पूर्व में किए गए अनुबन्धों में किराये की राशि को देरी से जमा किए जाने पर न ही किसी भी प्रकार से दण्ड का कोई प्रावधान था और न ही मासिक किराये में वार्षिक आधार पर किराये वृद्धि का, जो कि एक गंभीर वित्तीय चूक है। परिणामस्वरूप वर्ष 2009 से वर्तमान समय तक दुकानों के मासिक किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई। जिसके कारण नगर परिषद को दुकानों से किराये के रूप में प्राप्त आय की वित्तीय हानि हो रही है। अतः वार्षिक आधार पर दुकानों का किराया अनुबन्ध नवीनीकरण न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही सभी दुकानों का अनुबन्ध वार्षिक आधार पर किराये वृद्धि एवं दण्ड प्रावधानों सहित नवीनीकरण (Renew) किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**8.8 दिनांक 31.03.2016 तक सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये के रूप में ₹30.95 लाख की वसूली न करना:-**

नगर परिषद परवाणु द्वारा माह 10/92 से सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) को नगर परिषद परिसर में दो कमरे किराए पर दिये गए थे। नगर परिषद के प्रस्ताव सं. 7 दिनांक 04.02.2001 के अनुसार अवधि 10/92 से 04/2001 के लिए पत्र सं. MC/PWN/Office/2001/324 दिनांक 17.04.2001 द्वारा ₹1051733/- का किराये का बिल सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) को दिया गया था। इसके अतिरिक्त अवधि 04/2015 से 03/2017 तक का कुल किराया ₹30,95,470.00 बनती है। जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है कि इस मामले में हस्तक्षेप करके किराये की वसूली हेतु निर्देश जारी करने के साथ ही किराये की वसूली करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को यथा समय अवगत करवाया जाए।

**सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये का विवरण**

|   |                                       |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | देय किराए की राशि मार्च 2015 तक       | 28,49,134.00        |
| 2 | अवधि 04/2015 से 03/2016 तक देय किराया | 1,23,168.00         |
| 3 | अवधि 04/2016 से 03/2017 तक देय किराया | 1,23,168.00         |
|   | <b>कुल किराए की देय राशि</b>          | <b>30,95,470.00</b> |

**8.9 बिजली उप-कर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण न किया जाना :-**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी. –(डी)(1)-9/94, दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद द्वारा, नगर परिषद क्षेत्र की परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा हि.प्र.बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित हैं। अंकेक्षण में अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17 के दौरान की ₹27,85,045/- H.P. STATE ELECTRICITY BOARD LTD. से प्राप्त की गई थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। जाँच में यह भी पाया गया कि नगर परिषद परवाणु द्वारा स्वतः स्पष्ट बिजली शुल्क माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हि. प्र. बिजली बोर्ड से वर्ष 2001-02 से 2016-17 बिजली शुल्क की कितनी राशि हि. प्र. बिजली बोर्ड से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी और कितनी राशि प्राप्त की गई हैं और कितनी राशि मार्च 2017 तक बिजली बोर्ड से लेनी शेष है। अतः स्वतः स्पष्ट बिजली शुल्क माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए और उस रजिस्टर में वर्षानुसार बिजली शुल्क की माँग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

| Year         | Amount of Electricity Cess Received | G8 Receipt No. & Date |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2015-16      | 227899.00                           | 28/388 Dt.28.04.2015  |
|              | 292284.00                           | 18/394 Dt.24.07.2015  |
|              | 261033.00                           | 45/397 Dt.03.10.2015  |
|              | 563864.00                           | 09/399 Dt.03.10.2015  |
|              | 279910.00                           | 03/402 Dt.01.01.2015  |
|              | 236122.00                           | 43/404 Dt.31.03.2016  |
| 2016-17      | 261343.00                           | 55/408 Dt.28.04.2016  |
|              | 250593.00                           | 10/416 Dt.27.10.2016  |
|              | 411997.00                           | 07/421 Dt.02.03.2017  |
| <b>Total</b> | <b>2785045.00</b>                   |                       |

#### 8.10 वर्ष 2016-17 हेतु शराब उप कर की राशि की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.–एच(सी)(9)-28/96-1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर 1.00 प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संबन्धित स्थानीय निकायों को शराब उप कर भुगतान किया जाना था, परंतु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 के लिए ₹956,614/- आबकारी एवं कराधान विभाग सोलन हि.प्र. से शराब उप कर शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। नगर परिषद अधिकारियों द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का विवरण, आबकारी एवं कराधान विभाग सोलन

हि.प्र. से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2016-17 के लिए शराब उप कर की राशि, आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त करने के लिए नगर परिषद अधिकारियों द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षण के दौरान कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को सुझाव दिया गया कि आबकारी एवं कराधान विभाग सोलन, हि. प्र. से नगर परिषद क्षेत्र में वर्ष 2015-16 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का विवरण प्राप्त किया जाए ताकि वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्त शराब शुल्क की राशि के सही होने की पुष्टि की जा सकें साथ ही वर्ष 2016-17 हेतु शराब शुल्क की वसूली हेतु उचित कार्यवाही की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

| Year    | Amount of Liquor Cess Collected | G8 Receipt No & Date  |
|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 2015-16 | 956614.00                       | 25/402 Dt. 21.01.2016 |

#### 8.11 शराब उप-कर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर को तैयार न करना:-

अभिलेख कि पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्वतः स्पष्ट शराब उप कर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग सोलन हि.प्र. से वर्षानुसार शराब उप कर की कितनी राशि से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी और कितनी राशि प्राप्त की गई हैं और कितनी राशि मार्च 2017 तक लेनी शेष है। अतः स्वतः स्पष्ट शराब उप कर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए और उस रजिस्टर में वर्षानुसार शराब उप कर की माँग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

#### 8.12 भवन नक्शा पारित शुल्क की ₹2.04 लाख की कम वसूली

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या HIM/TP/PP/PJT-Genl /Sws-vol-111/09-8664-91 दिनांक 20-9-2014 के अनुसार नगर परिषद परिधि में 250 वर्ग मीटर से अधिक व्यवसाहिक प्रयोग हेतु भवन नक्शा पारित करवाने के लिए Town & Country Planning नक्शा पारित फीस की दर ₹47/ प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। परन्तु नगर परिषद द्वारा कुछ मामलो मे भवन नक्शा पारित करवाने हेतु Town & Country Planning फीस की वसूली कम की गई, जिस कारण विभिन्न व्यक्तियों से भवन नक्शा पारित करवाने हेतु ₹204297/- की कम वसूली की गई। जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना सं. 425/2017 दिनांक 26.05.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र सं. एम. सी./परवाणु/अंकेक्षण/2017-2021 दिनांक 29.06.2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि संबन्धित कनिष्ठ अभियन्ता वर्तमान में नगर परिषद पौंटा साहिब में कार्यरत हैं और उनसे इस विषय में आवश्यक सूचना देने बारे में अनुरोध किया गया है। उनसे सूचना प्राप्त

करने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। अतः ₹204297/- की कम वसूली को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा ₹204297/- की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**Detail of Less Receipt of Building Map approval Fees**

| Sr.No        | Name &Address                                            | Approved Building area in Sqm | Rate per Sqm. | Total Amount Due | Amount Received | Less Receipt     |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1            | Pragya Tecnology<br>Plot no33-34 Sector-5                | 2178.64                       | 47.00         | 102396.00        | 22876.00        | 79520.00         |
| 2            | M/s Ethics Ind.Plot no<br>10 Sector-3                    | 2933.55                       | 47.00         | 137877.00        | 30802.00        | 107075.00        |
| 3            | Multi color Cartoons<br>plot No 20 ,20a ,21<br>sector 2  | 202.37                        | 47.00         | 9511.00          | 2125.00         | 7386.00          |
| 4            | Jaison Engeneering<br>&Paints Pvt Ltd Plot<br>No19 Sec-1 | 282.63                        | 47.00         | 13284.00         | 2968.00         | 10316.00         |
| <b>Total</b> |                                                          |                               |               |                  |                 | <b>204297.00</b> |

**8.13 मोबाईल टावर शुल्क की ₹1.74 लाख वसूली हेतु शेष:-**

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT- Dev-IT-2005(Misc), दिनांक 22.08.2006 और निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक 25.09.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹10000.00 स्थापना शुल्क तथा ₹5000.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क आरोपित किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक पाँच वर्षों के उपरान्त वार्षिक नवीनीकरण शुल्क में 25% की वृद्धि की जाएगी। मोबाईल टावर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 तक मोबाईल टावर शुल्क की ₹173750/- की राशि वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः मोबाईल टावर शुल्क की वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, और नवीनीकरण शुल्क की शीघ्र वसूली की जाए एवं कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

| Sr. No. | Name of Mobile Tower Company                                                                                     | Opening Balance | Demand raised during the year | Total | Amount received during the year | Closing Balance |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 1       | M/s Disnet Wireless Ltd<br>(Aircel) Sh. Tara Singh,<br>Satish kumar Plot No-7A<br>Gabrial Road Sec-2<br>Parwanoo | 12500           | 6250                          | 18750 | 0.00                            | 18750.00        |

|              |                                                                                              |       |       |       |                  |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------|----------|
| 2            | M/s Tata indicom Ltd.                                                                        | 30000 | 6250  | 36250 | 0.00             | 36250.00 |
| 3            | M/s Bharti Airtel Ltd.                                                                       | 0.00  | 6250  | 6250  | 6250             | 0.00     |
| 4            | B.S.N.L Sec-1 Parwanoo.                                                                      | 38750 | 6250  | 45000 | 0.00             | 45000.00 |
| 5            | M/s Tulpit Service Ltd.                                                                      | 40000 | 6250  | 46250 | 0.00             | 46250.00 |
| 6            | M/s Voda Phone Mobile Service Ltd. Plot No. 7A, Gabrial road sec-2 Parwanoo                  | 0.00  | 6250  | 6250  | 6250             | 0.00     |
| 7            | M/s Voda Phone Mobile Service Ltd. Sec-1A Parwanoo.                                          | 0.00  | 12250 | 12250 | 12250            | 0.00     |
| 8            | M/s Voda Phone Mobile service Ltd. Smt. Romi Chopra W/o Sh. Puninder Chopra, Sec-6 Parwanoo. | 0.00  | 12250 | 12250 | 12250            | 0.00     |
| 9            | M/s Bharti infratel                                                                          | 0.00  | 6250  | 6250  | 6250             | 0.00     |
| 10           | M/S L.G Electronics India Pvt. Ltd. Sec-1 Parwanoo                                           | 21250 | 6250  | 27500 | 0.00             | 27500.00 |
| 11           | M/s Reliance Jio infracomm Ltd. Gabrial Road Sec-2 Parwanoo.                                 | 5000  | 5000  | 10000 | 10000            | 0.00     |
| 12           | M/s Reliance Jio infracomm Ltd.                                                              | 5000  | 5000  | 10000 | 10000            | 0.00     |
| <b>Total</b> |                                                                                              |       |       |       | <b>173750.00</b> |          |

## 9. संस्थापना

### 9.1 हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1) ( ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना व्यय पर ₹ 48.68 लाख का अनाधिकृत रूप से व्यय किया जाना

हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1)(ग) के अनुसार “संस्थापना पर व्यय, नगर पालिका क्षेत्र के व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा”। नगर परिषद के स्थापना व्यय की पड़ताल पर पाया गया की वर्ष 2015-16 के दौरान ₹48,68,029/- संस्थापना पर व्यय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत किया गया, जिसका विवरण निम्न दिया गया हैं। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1) ( ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और आगामी वर्षों के दौरान संस्थापना पर व्यय उपरोक्त धारा के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही प्रावधानों के विपरीत किए गए ₹48,68,029/- के अनियमित संस्थापना व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाए।

| S. No | Period             | Total Expenditure out of Municipal Fund | Expenditure on Establishment | % of Establishment Expenditure to the Total Expenditure out of Municipal Fund | Admissible expenditure on Establishment i.e 1/3 <sup>rd</sup> of total Expenditure out of Municipal Fund | Irregular Expenditure on Establishment out of Municipal Fund |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 04/2015 to 03/2016 | 3,07,73,884/-                           | 1,51,25,990                  | 49.15%                                                                        | 1,02,57,961/-                                                                                            | 48,68,029/-                                                  |

### 9.2 Work Supervisor को ₹0.51 लाख का वेतन के रूप में अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान श्री रजनीश Work Supervisor की सेवा पंजिका की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को कार्यालय आदेश संख्या M.C. /Pwn-2015 2357-2359 dated 23-10-2015 के द्वारा Work Supervisor के पद से Jr. Technician Pay Scale ₹5910-20200 Grade Pay ₹2400 के पद पर दिनांक 1-10-2012 से पदोन्नत किया गया था। जबकि नगर परिषद के स्वीकृत पदों की (Sanction Staff Strength) सूची के अनुसार नगर परिषद परवाणु में Jr. Technician का कोई पद उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार पद उपलब्ध न होने के फलस्वरूप श्री रजनीश Work Supervisor को Jr. Technician के पद पर पदोन्नत किए जाने के कारण अवधि 1-10-2012 से 31-05-2017 तक ₹51027/ अधिक वेतन का भुगतान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-घ 1 पर दिया गया है। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 431/2017 दिनांक 01.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2027 Dt.01.07.2017 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर परिषद परवाणु की Sanction Staff Strength में Jr. Technician का कोई पद स्वीकृत नहीं था, जिसके कारण नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 194 दिनांक 14.06.2017 के द्वारा श्री रजनीश Jr. Technician को दोबारा Work Supervisor बनाया गया है और उनको प्रदान किए गए अधिक वेतन के सम्बन्ध में वसूली अतिशीघ्र आरम्भ कर दी जायेगी। अतः बिना पद की उपलब्धता के उक्त कर्मचारी को पदोन्नत करने का औचित्य नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए। अन्यथा ₹51027/ - की वसूली उचित माध्यम से वसूल की जानी सुनिश्चित की जाए।

### 9.3 नियमों के विपरीत श्री प्रेम कुमार शांडिल Junior Assistant को ₹0.09 लाख के वेतन का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान श्री प्रेम कुमार शांडिल की सेवा पंजिका की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को कार्यालय आदेश M.C. /Pwn-2015 863-1028 dated 29-9-2015 के द्वारा 10300-34800 Grade Pay 3200 के पद पर दिनांक 1-10-

2012 से वेतनमान प्रदान किया गया एवं क्लर्क के पद पर न्यूनतम वेतन ₹13500/- दिनांक 01.10.2012 को निर्धारित किया गया। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि न्यूनतम वेतन के पश्चात दिनांक 1.7.2013 को प्रदान की गई थी। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या Fin(P.R)-B(7)-64/2010-loose dated 24.9.2012 के नियम 7 के अनुसार “The next increment of a Government Employee whose pay is fixed at the minimum of the respective pay band shall be granted after completion of qualifying service of 12 months in the pay band” वार्षिक वेतन वृद्धि 12 माह के बाद दिनांक 01.10.2013 को देय थी। परन्तु श्री प्रेम कुमार शांडिल को समय से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2013 को प्रदान की गई। समय पूर्व वार्षिक वृद्धि प्रदान किए जाने से श्री प्रेम कुमार शांडिल, कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) को अवधि 1.7.2013 से 30.6.2017 के दौरान ₹ 9449/- का अधिक भुगतान किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-घ 2 पर दिया गया है। जिसका औचित्य नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹ 9449/- अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 470/2017 दिनांक 01.07.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-Nil दिनांक 03.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 9.4 पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता से लाइसेन्स फीस ₹0.07 लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या GAD-D-7(G)1-12/81-1 Dated 11-3-2010 के नियम 7 के अनुसार कर्मचारी का तबादला होने की स्थिति में Type- 3 सरकारी आवास खाली न करने की बदले में 3 माह तक लाइसेन्स फीस की वसूली साधारण दर से 3 माह से 6 माह तक 4 गुणा 6 माह के तत्पश्चात 8 गुणा की दर से वसूली की जानी अपेक्षित है। नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 75 दिनांक 24-9-2013 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता को Type- 3 आवास का आबंटन किया गया था। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या UD-H(B)(6)-2/98 -1V loose -3901 -3929 dated 17-7-2014 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता का तबादला नगर परिषद पौंटा साहिब को किया गया व उन्हे दिनांक 21-7-2014 को नगर परिषद परवाणु से कार्यमुक्त किया गया। अंकेक्षण में संबन्धित अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अवधि 22-7-2014 से 31-01-2015 तक न तो सरकारी आवास खाली किया गया न ही लाइसेन्स फीस ₹6821/- जिसका विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है, को नगर परिषद कोष में जमा करवाया गया। जिस कारण नगर परिषद परवाणु को ₹6821/- की हानि हुई। इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 460/2017 दिनांक 20.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि संबन्धित कनिष्ठ अभियन्ता वर्तमान में नगर परिषद बद्दी में कार्यरत हैं और उन्हे पत्र संख्या एम.सी./परवाणु/अंकेक्षण/2017-1978-1979 दिनांक 23.06.2017 से

₹6821/- को जमा करवाए जाने हेतु अनुरोध किया गया हैं। अतः सरकारी आवास खाली न करने की बदले ₹6821/- की लाइसेन्स फीस को वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही ₹6821 की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| Period for which License fees has not been Recovered | No of Months For which License fees has not Recovered | Amount of License fees not Recovered | Detail                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 22-7-2014 to 21-10-2014                              | 3 months                                              | 1164                                 | 388 P.M. x 3months            |
| 22-10-2014 to 21-1-2015                              | 3 months                                              | 4656                                 | 388 P.M. X4 times x 3months   |
| 22-1-2015 to 31-1-2015                               | 10 days                                               | 1001                                 | 388 P.M. X8 times x 10 months |

**Total 6821**

#### 9.5 लाइसेन्स फीस ₹0.07 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 289 दिनांक 20-10-2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दिनांक 1-11-2015 से Type-3 आवास का आबंटन किया गया था। अंकेक्षण मे वेतन बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास आबंटन के बदले में अधिकारी के वेतन से ₹7372/- की लाइसेन्स फीस की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459/2017 दिनांक 20.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि G-8 संख्या 67/427 दिनांक 22.06.2017 से ₹7372/- परिषद निधि (Municipal Fund) में कार्यकारी अधिकारी द्वारा जमा करवा दी गई हैं साथ ही माह जून 2017 देय जुलाई 2017 के वेतन से आवास लाइसेन्स फीस नियमित कटौती की जानी आरम्भ कर दी गई हैं।

| Period for which License fees has not been deducted from Salary | No. of Months For which License fees has not been Recovered | Type of Accommodation Allotted | Rate of License fees P.M. have to be Recovered | Amount of License fees Recoverable (Rs) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1-11-2015 to 31-5-2017                                          | 19 months                                                   | Type-3                         | 388                                            | 7372.00                                 |

#### 10. पेंशन व ग्रेच्युटी फंड

अंकेक्षण अवधि के दौरान पेंशन व ग्रेच्युटी फंड की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट- ड के अनुसार निम्न प्रकार से थी।

**FINANCIAL POSITION IN R/O OF PENSION & GRATUITY FUND OF Municipal Council, PARWANOO, Distt. Solan (H.P.)**

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING | TOTAL | TOTAL PAYMENTS | CLOSING BALANCE |
|------|-----------------|----------------|-------|----------------|-----------------|
|------|-----------------|----------------|-------|----------------|-----------------|

### THE YEAR

|                                                                  |          |         |          |         |             |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-------------|
| 2014-15                                                          | 9114137  | 2074453 | 11188590 | 726019  | 10462571    |
| 2015-16                                                          | 10462571 | 4495511 | 14958082 | 2204435 | 12753647    |
| 2016-17                                                          | 12753647 | 2581445 | 15335092 | 1513839 | 13821253    |
| Total as per Cash Book as on 31.03.2017                          |          |         |          |         | 13821253.00 |
| Total as per Bank Accounts as on 31.03.2017 (Detail Given Below) |          |         |          |         | 13821253.00 |
| Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2017  |          |         |          |         | 0.00        |

### Detail of Bank Accounts As on 31.03.2017

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| JCCBank A/c 4209821253   | 821253.00          |
| FDR in JCC Bank Parwanoo | 9000000.00         |
| FDR in JCC Bank Parwanoo | 4000000.00         |
| <b>Total</b>             | <b>13821253.00</b> |

### 10.1 सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹450000/- का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय एवं अदायगी के वाउचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम भुगतान/आहरण की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई थी। जबकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 के नियम 13(i) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि “The advances withdrawals and Final Payment from GPF shall be sanctioned by the Director”. अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अन्तिम भुगतान/आहरण की राशियाँ उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित थी। अतः इस संदर्भ में वर्तमान में निम्नलिखित प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

| Date/Voucher  | CBP No. | Amount    | Remarks                                                           |
|---------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 33/15.07.2016 | 58      | 200000.00 | GPF withdrawl by Sh. Joginder Singh, Beldar for Repair of House.  |
| 15/02.07.2016 | 51      | 100000.00 | GPF withdrawl by Sh.Suresh, Driver for Repair of House.           |
| 42/18.11.2015 | 41      | 150000.00 | GPF withdrawl by Sh.Rajvir, Safai Karamchari for Repair of House. |

**Total 450000.00**

### 10.2 सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG B91)-1/79/III दिनांक 25.04.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक, द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ-साथ इसका रख-रखाव भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उपनियम 3 में प्रावधान किया गया है कि सभी नगरपालिकाएं कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का

माहवार अभिदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करेगी। नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था। जोकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 की सरासर अवहेलना हैं। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

11. लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिये गए विज्ञापनों देने से विज्ञापनों पर किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व को हुई ₹0.41 लाख की हानि बारे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या -2006/01-15 pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्र संख्या 1 &PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 5-7-2013 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक थे तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से विज्ञापन न छपवाये जाने की स्थिति में विज्ञापन की एवज में भुगतान की जाने वाली राशि में से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हि. प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विज्ञापन के रूप में ₹276305/- का भुगतान विभिन्न फर्मों एवं व्यक्तियों को किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट-च पर दिया गया है। यह राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यय नहीं की गई थी जोकि सरकार के नियमों की अवहेलना है। उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार यदि विज्ञापन पर व्यय की गई राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से व्यय नहीं की गई थी तो व्यय की गई राशि में से 15% की दर से कमीशन के तौर पर कटौती करके हि. प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कमीशन के रूप में ₹41446/- (₹276305/- X 15%= ₹41446/-) की राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। परंतु नगर परिषद ऐसा नहीं किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से ₹41446/ की हानि हुई। इस संबंध में अंकेक्षण अध्याचना सं. 452/2017 दिनांक 14.06.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र सं. एम. सी./परवाणु/अंकेक्षण/2017-1967 दिनांक 20.06.2017 से कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में सभी विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाएंगे और यदि किसी स्थिति में स्थानीय आधार पर कोई विज्ञापन दिया जायेगा तो उस बारे में 15% की दर से कमीशन के तौर पर कटौती करके हि. प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जायेगा।

अतः इस संदर्भ में ₹276305/- विज्ञापन की राशि सीधे तौर पर खर्च करने से 15% कमीशन के रूप में ₹41446/ की कटौती न करके हिमाचल प्रदेश सरकार को राजस्व की हुई हानि को न्यायोचित ठहराया जाए अथवा उक्त फर्मों से आगामी भुगतान से कटौती की जानी सुनिश्चित की जाये तथा इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. निर्माण कार्य

**12.1 वाऊचर संख्या 37 दिनांक 14.12.2016 ₹ 224085/-**

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Providing/Supplying of M.S.Railing in sector-4                    |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 87/96                                                             |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-1933 Dated 18-8-2015                 |
| संविदाकार का नाम                 | M/s Shree Sai Enterprises Industrial Plot No. 48 Sec-05, Parwanoo |

**Conversion Factor** गलत लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को **Providing/Supplying of M.S. Railing in sector-4** “हेतु 224085/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर व माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद संख्या 1 i.e Steel work in Built up section में Running meter को किलो ग्राम में Convert करते समय Conversion Factor गलत लगाए जाने के कारण संविदाकार को ₹10772/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः ₹10772/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| Name of Item                                         | Qty Executed & Paid            | Qty as per Audit               | Excess Qty. | Rate per kg | Total Excess payment |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Steel work in Built up section<br>M.S.Square 50x50x3 | 198.98 rmt X4.48=<br>891.07kg  | 198.98 rmt x4.39=<br>873.53 kg | 17.54kg     | 84.50       | 1482                 |
| Steel work in Built up section<br>M.S.Square 40x40x3 | 134.64 rmt X3.55=<br>477.97 kg | 134.64 rmt x3.45=<br>464.51kg  | 13.46kg     | 84.50       | 1137                 |
| Steel work in Built up section<br>M.S.Square 25x25x3 | 438.60 rmt X2.26=<br>991.23kg  | 438.60 rmt x2.04=<br>894.74kg  | 96.49kg     | 84.50       | 8153                 |
| <b>Total</b>                                         |                                |                                |             |             | <b>10772.00</b>      |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 449/2017 दिनांक 13.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.2 वाऊचर संख्या 20 दिनांक 05.11.2015 ₹500000/-**

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम | Supplying & manufacturing of MS Railing in front of Shiv Temple Road Side Towards MC Shop Sector- |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

1A, Parwanoo  
 माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या 84, P.No. 84-88  
 आवंटन पत्र संख्या 2014-556 Dt. 13.04.2015  
 संविदाकार का नाम M/s Des Raj Welding Works Parwanoo

**Conversion Factor गलत लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान**

उपरोक्त वाक्य से संविदाकार को “Supplying & manufacturing of MS Railing in front of Shiv Temple Road Side Towards MC Shop Sector-1A, Parwanoo” हेतु संविदाकार को ₹420000/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e “Steel work welded in builtup section including trusses frame etc.” के संदर्भ में MS Flat 20X5 का गलत conversion factor लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹6666/- का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया गया है। अतः ₹6666/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

**अधिक भुगतान का विवरण**

| Description of item                                                                 | Executed & Paid | Conversion Factor taken for MS Flat 20X5 | Actual Conversion Factor as per HPPWD Specification | Excess         | Total Excess Qty paid to the Contractor in kg | Rate per KG | Total Excess payment to the Contractor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| मद संख्या 1 i.e “Steel work welded in builtup section including trusses frame etc.” | 1240.20 RMT     | 0.85kg per RMT                           | 0.80kg per RMT                                      | 0.05kg per RMT | 62.01kg                                       | 107.5       | 6666.075                               |
| Or Say                                                                              |                 |                                          |                                                     |                |                                               |             | 6666                                   |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 420/2017 दिनांक 20.05.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.3 वाक्य संख्या 45 दिनांक 22.06.2016 ₹309626/-**

कार्य का नाम Supplying & manufacturing of MS Railing Opp.MC Shop Towards Shiv Kutti,Sec 1A, Parwanoo  
 माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या 87,P.No. 80 to 82  
 संविदाकार का नाम Sh.Devinder Kumar

**Conversion Factor गलत लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹7280/- का अधिक भुगतान**

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Supplying & manufacturing of MS Railing Opp.MC Shop Towards Shiv Kutti,Sec 1A, Parwanoo” हेतु संविदाकार को ₹420000/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e “Steel work welded in builtup section including trusses frame etc.” के संदर्भ में MS Flat 40X40X5mm का गलत conversion factor लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹7280/- का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया गया है। अतः ₹7280/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

#### अधिक भुगतान का विवरण

| Description of item                                                                  | Executed & Paid                 | Conversion Factor taken for MS Flat 40X40X5 | Actual Conversion Factor as per HPPWD Specification | Excess         | Total Excess Qty paid to the Contractor in kg | Rate per KG | Total Excess payment to the Contractor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| मद संख्या 1 i.e “Steel work welded in builtup section including trusses frame etc. ” | 158.27RMT (MB No. 87, P.No. 81) | 3.50kg per RMT                              | 3.00kg per RMT                                      | 0.50kg per RMT | 79.135kg                                      | 92.00       | 7280.42                                |
| Or Say                                                                               |                                 |                                             |                                                     |                |                                               |             | 7280/-                                 |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 451/2017 दिनांक 14.6.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.4 वाऊचर संख्या 54 दिनांक 17.04.2015 ₹121100/-

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Supplying & manufacturing of MS Railing Block No. 5,6 Sec-03, Parwanoo |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 82 P.No. 96 to 99                                                      |
| संविदाकार का नाम                 | M/s Des Raj Welding Works Parwanoo                                     |

#### Conversion Factor गलत लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Supplying & manufacturing of MS Railing Block No. 5,6 Sec-03, Parwanoo” हेतु संविदाकार को ₹420000/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e “Steel work welded in builtup section including trusses frame etc. ” के संदर्भ में MS Hollow Pipe 75X40X3mm और MS Square Bar 20X20X3mm का गलत conversion factor लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹11842/- का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान का

विवरण निम्न दिया गया है। अतः ₹11842/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 451 A/2017 दिनांक 14.6.2017 दिनांक के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### अधिक भुगतान का विवरण

| Description of item                                                                  | Qty. Executed & Paid          | Conversion Factor taken    |                | Actual Conversion Factor as per HPPWD Specification | Excess         | Total Excess Qty paid to the Contractor in kg | Rate per KG | Total Excess payment to the Contractor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| मद संख्या 1 i.e “Steel work welded in builtup section including trusses frame etc. ” | 40.82RMT (MB No. 82 P.No. 97) | For MS Hallow Pipe 75X40X3 | 6.02kg per RMT | 4.15kg per RMT                                      | 1.87kg per RMT | 76.33kg                                       | 100.00      | 7633                                   |
|                                                                                      | 69RMT (MB No. 82, P.No. 97)   | For MS Square Bar 20X20X3  | 2.23kg per RMT | 1.62kg per RMT                                      | 0.61kg per RMT | 42.09kg                                       | 100.00      | 4209                                   |
| <b>Total</b>                                                                         |                               |                            |                |                                                     |                |                                               |             | <b>11842</b>                           |

#### 12.5 वाऊचर संख्या 47 दिनांक 19.08.2015 ₹171785/-

कार्य का नाम Supplying & manufacturing of MS Railing Block No. 5,6 Sec-03, Parwanoo  
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या 85, P.No.76 to 80  
संविदाकार का नाम M/s Des Raj Welding Works Parwanoo

#### Conversion Factor गलत लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹1429/- का अधिक भुगतान

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Supplying & manufacturing of MS Railing Opp.infront of Block No. 10 Path Side Sec-04 Parwanoo” हेतु संविदाकार को ₹420000/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e “Steel work welded in builtup section including trusses frame etc. ” के संदर्भ में MS Flat 20X5mm का गलत conversion factor लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹1429/- का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया

गया है। अतः ₹1429/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

#### अधिक भुगतान का विवरण

| Description of item                                                                    | Executed & Paid                  | Conversion Factor taken for MS Flat 20X5 | Actual Conversion Factor as per HPPWD Specification | Excess         | Total Excess Qty paid to the Contractor in kg | Rate per KG | Total Excess payment to the Contractor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| मद संख्या 1 i.e<br>"Steel work welded in builtup section including trusses frame etc." | 265.84RMT<br>(MB No. 85, P.No78) | 0.85kg per RMT                           | 0.80kg per RMT                                      | 0.05kg per RMT | 13.29kg                                       | 107.50      | 1428.67                                |
| Or Say                                                                                 |                                  |                                          |                                                     |                |                                               |             | 1429/-                                 |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 451B/2017 दिनांक 14.6.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.6 वाऊचर संख्या 40 दिनांक 20-7-2016 ₹224101/-

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Providing/Supplying of M.S.Railing in sector-4    |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 87/96                                             |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-1082 Dated 28-6-2016 |
| संविदाकार का नाम                 | Sh.Davinder Kumar                                 |

गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को **Providing/Supplying of M.S. Railing in sector-4** "हेतु ₹224101/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद Steel work in Built up section के संदर्भ में Running meter को किलो ग्राम में Convert करते समय Conversion Factor गलत लगाए जाने के कारण संविदाकार को ₹8249/- का अधिक भुगतान किया। जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः ₹8249/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| Name of Item                   | Qty Executed & Paid      | Qty as per Audit           | Excess Qty. | Rate  | Total Excess payment |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------|----------------------|
| Steel work in Built up section | 168.34rmt x3.5= 589.19kg | 168.34rmt x3.00= 505.02 kg | 84.17kg     | 98.00 | 8248.66              |
| Angel 40x40x5                  |                          |                            |             |       |                      |
| Total                          |                          |                            |             |       | 8248.66              |

**Or Say 8249.00**

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 450/217 दिनांक 14.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.7 वाऊचर संख्या 47 दिनांक 20.11.2015 ₹115292/-**

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Drain Cleaning all Sector Ward Municipal Council Parwanoo Town |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 88 P.No. 3 to 4                                                |
| आबंटन पत्र संख्या                | MC/PWN/Award Letter/2015-1657 Dt. 18.08.2015                   |
| संविदाकार का नाम                 | Sh.Sanjay Kumar Garg                                           |

**Rate of Analysis में Labour Rate में 25% की अनावश्यक वृद्धि लेने के कारण संविदाकार को ₹0.12 लाख का अनुचित लाभ देने बारे।**

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Drain Cleaning all Sector Ward Municipal Council Parwanoo Town” हेतु ₹96845/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद “Removal of Slips in all kinds of Soil including Saturated Soil but excluding boulders and rocky portion requiring blasting up to a distance of 20mtrs, disposing of unserviceable materials and neatly dressing the surface including disposed of excavated earth by mechanical transport up to 1KM” का Rate of Analysis बनाते समय Labour Rate ₹210/- प्रतिदिन प्रति मजदूर लिया गया था। इसके अतिरिक्त Labour Rate में 25% की अनावश्यक वृद्धि (Enhancement) दी गई थी। परिणामस्वरूप उपरोक्त मद के लिए Rate of Analysis अधिक दर से निर्धारित किया गया। इस प्रकार Rate of Analysis अधिक बनाए जाने के कारण संविदाकार को उपरोक्त कार्य अधिक दर पर आबंटित किया गया। Rate of Analysis अधिक बनाए जाने के कारण संविदाकार को ₹11530/- का अनुचित लाभ दिया गया। विवरण निम्न दिया गया है।  
अतः Rate of Analysis में Labour Rate में 25% की अनावश्यक वृद्धि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹11530/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 414 दिनांक 16.05.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

| Rate of Analysis as per Municipal Record |       |       | Rate of Analysis as per Audit        |       |      |
|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|------|
| Detail of Cost for 2.20cum               |       |       |                                      |       |      |
| Labour                                   | 1 No. | 210   | Labour                               | 1 No. | 210  |
| Add: 25% Enhancement                     |       | 52.5  | Add: Contractor's Profit @10% on 210 |       | 21.0 |
| Total                                    |       | 262.5 | Add: Overhead Charges @5% on 210     |       | 10.5 |

|                               |       |                                   |       |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Add: Contractor's Profit @10% | 26.3  | Total                             | 241.5 |
| Total                         | 288.8 | Cost per Cum 207/2.20             | 109.8 |
| Add: Overhead Charges @5%     |       |                                   |       |
| on 262.5                      | 13.1  | Add: 1Km Load by Mechanical means | 115.0 |
| Total                         | 301.9 | Total Cost per Cum                | 224.8 |
| Cost per Cum                  |       |                                   |       |
| 301.87/2.20                   | 137.2 |                                   |       |

|                                                                          |       |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
| Add: 1Km Load by Mechanical means                                        | 115.0 |                |       |
| Total Cost per Cum                                                       | 252.2 |                |       |
| or Say                                                                   | 250.0 | or Say         | 225.0 |
| Total Qty executed                                                       |       | 461.17cum      |       |
| Rate Quoted by the Contractor                                            |       | 290.00 per cum |       |
| Rate awarded                                                             |       | 250.00 per cum |       |
| Excess Payment (250-225=25 per cum X 461.17 cum) 11529.25 or say 11530/- |       |                |       |

#### 12.8 वाऊचर संख्या 47 दिनांक 20.11.2015 ₹109650/-

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Drain Cleaning all Sector Ward Municipal Council Parwanoo Town |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | MB NO. 87 Page No. 24                                          |

**Rate of Analysis में Labour Rate में 25% की अनावश्यक वृद्धि लेने के कारण संविदाकार को ₹0.11 लाख का अनुचित लाभ देने बारे।**

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Drain Cleaning all Sector Ward Municipal Council Parwanoo Town” हेतु 92106/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद “Removal of Slips in all kinds of Soil including Saturated Soil but excluding boulders and rocky portion requiring blasting up to a distance of 20mtrs, disposing of unserviceable materials and neatly dressing the surface including disposed of excavated earth by mechanical transport up to 1KM” का Rate of Analysis बनाते समय Labour Rate ₹210/- प्रतिदिन प्रति मजदूर लिया गया था। इसके अतिरिक्त Labour Rate में 25% की अनावश्यक वृद्धि (Enhancement) दी गई थी। परिणामस्वरूप उपरोक्त मद के लिए Rate of Analysis अधिक दर से निर्धारित किया गया। इस प्रकार Rate of Analysis अधिक बनाए जाने के कारण संविदाकार को उपरोक्त कार्य अधिक दर पर आबंटित किया गया। Rate of Analysis अधिक बनाए जाने के कारण संविदाकार को ₹10965/- की राशि का अनुचित लाभ दिया गया। विवरण निम्न दिया गया है। अतः Rate of Analysis में Labour Rate में 25% की अनावश्यक वृद्धि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹10965/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 418/2017 दिनांक 18.05.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

| Voucher No. Dt. MB NO. 87 Page No. 24                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                                      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| “Removal of Slips in all kinds of Soil including Saturated Soil but excluding boulders and rocky portion requiring blasting up to a distance of 20mtrs, disposing of unserviceable materials and neatly dressing the surface including disposed of excavated earth by mechanical transport up to 1KM” |       |       |                                      |       |       |
| Rate of Analysis as per Municipal Record                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | Rate of Analysis as per Audit        |       |       |
| Detail of Cost for 2.20cum                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                                      |       |       |
| Labour                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 No. | 210   | Labour                               | 1 No. | 210   |
| Add: 25% Enhancement                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 52.5  | Add: Contractor’s Profit @10% on 210 |       | 21.0  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 262.5 | Add: Overhead Charges @5% on 210     |       | 10.5  |
| Add: Contractor’s Profit @10%                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 26.3  | Total                                |       | 241.5 |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 288.8 | Cost per Cum 207/2.20                |       | 109.8 |
| Add: Overhead Charges @5% on 262.5                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 13.1  | Add: 1Km Load by Mechanical means    |       | 115.0 |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 301.9 | Total Cost per Cum                   |       | 224.8 |
| Cost per Cum 301.87/2.20                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 137.2 |                                      |       |       |
| Add: 1Km Load by Mechanical means                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 115.0 |                                      |       |       |
| Total Cost per Cum                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 252.2 |                                      |       |       |
| or Say                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 250.0 | or Say                               |       | 225.0 |
| Total Qty executed                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       | 438.60cum                            |       |       |
| Rate Quoted by the Contractor                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 290.00 per cum                       |       |       |
| Rate awarded                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | 250.00 per cum                       |       |       |
| Excess Payment (250-225=25 per cum X 438.60 cum) 10965/-                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                                      |       |       |

#### 12.9 वाऊचर संख्या 26 दिनांक 9.11.2015 ₹200430/-

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Grass cutting all sector Ward of Municipal Council Parwanoo Town |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 87,P.No. 17 &18                                                  |
| आबंटन पत्र संख्या                | MC/PWN/Award-2015-2254 Dt. 14.10.2015                            |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Sanjay Garg                                                  |

**Rate of Analysis** में 5.6% की अनावश्यक वृद्धि दर्शा कर संविदाकार को ₹2672/- का अनुचित लाभ देने बारे।

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Grass cutting all sector Ward of Municipal Council Parwanoo Town” हेतु ₹200430/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद संख्या 1 i.e “Cleaning jungle including, uprooting of rank vegetable, grass cutting, brushwood ,trees and sapling of girth up to 30 cm girth का Rate of Analysis बनाते समय 5.6% Service Tax लिया गया था। जबकि Service Tax के नियमों के अनुसार यदि नगर परिषद अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य करती हैं तो उस कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कोई Service Tax देय नहीं होगा। इस प्रकार Rate of Analysis बनाते समय 5.6% की दर से Service tax नहीं लिया जाना चाहिए था। Rate of Analysis में 5.6% की अनावश्यक वृद्धि (Enhancement) दिये जाने से उपरोक्त मद का Rate of Analysis अधिक दर से निर्धारित किया गया। इस प्रकार Rate of Analysis अधिक बनाए जाने के कारण संविदाकार को उपरोक्त कार्य अधिक दर पर आबंटित किया गया। Rate of Analysis अधिक बनाए जाने के कारण संविदाकार को ₹2672/- का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। विवरण निम्न दिया गया हैं। अतः Rate of Analysis में 5.6% की अनावश्यक वृद्धि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹2672/- की राशि के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| Rate of Analysis as per Municipal Record               |             | Rate of Analysis as per Audit     |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Detail of Cost for pre sq .meter                       |             |                                   |             |
| Labour 100 sq. meters 3.240@ 210                       | 680.40      | Lab our 100 sq. meters 3.240@ 210 | 680.40      |
| Add: Contractor”s Profit @10%                          | 68.04       | Add: Contractor”s Profit @10%     | 68.04       |
| Add: Overhead Charges @5%                              | 34.02       | Add: Overhead Charges @5%         | 34.02       |
| Total (Cost of 100 sq. meters)                         | 782.40      | Total (Cost of 100 sq. meters)    | 782.40      |
| Cost of per sq. meters                                 | 7.82        | Cost of per sq. meters            | 7.82        |
| Add: 12.5% E.P.F°                                      | 0.98        | Add: 12.5% E.P.F°                 | 0.98        |
| Total                                                  | 8.80        | Total                             | 8.80        |
| Add 5.6% service tax                                   | 0.49        | Add 1% labour cess                | 0.08        |
| Total                                                  | 9.30        | <b>Total</b>                      | <b>8.88</b> |
| Add 1% labour cess                                     | 0.09        |                                   |             |
| <b>Total or say</b>                                    | <b>9.40</b> |                                   |             |
| Total Qty executed                                     |             | 22270 sqr                         |             |
| Rate Quoted by the Contractor                          |             | 15.00 per sqr                     |             |
| Rate awarded                                           |             | 9.00.00 per sqr                   |             |
| Excess Payment ( ₹9– ₹8.88= ₹0.12 per sqr X 22270 sqr) |             | 2672.4 or say 2672/-              |             |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 426/2017 दिनांक 26.05.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.10 वाऊचर संख्या 26 दिनांक 9.11.2015 ₹173646/-**

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Grass cutting all sector Ward of Municipal Council Parwanoo Town |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 87,P.No. 15 & 16                                                 |
| आवंटन पत्र संख्या                | MC/PWN/Award-2015-2254 Dt. 14.10.2015                            |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Sanjay Garg                                                  |

**Rate of Analysis में 5.6% की अनावश्यक वृद्धि दर्शा कर संविदाकार को ₹2315/- का अनुचित लाभ देने बारे।**

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Grass cutting all sector Ward of Municipal Council Parwanoo Town” हेतु ₹156370/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद संख्या 1 i.e “Cleaning jungle including, uprooting of rank vegetable, grass cutting, brushwood ,trees and sapling of girth up to 30 cm girth का Rate of Analysis बनाते समय 5.6% Service Tax लिया गया था। जबकि Service Tax के नियमों के अनुसार यदि नगर परिषद अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य करती हैं तो उस कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कोई Service Tax देय नहीं होगा। इस प्रकार Rate of Analysis बनाते समय 5.6% की दर से Service tax नहीं लिया जाना चाहिए था। Rate of Analysis में 5.6% की अनावश्यक वृद्धि (Enhancement) दिये जाने से उपरोक्त मद का Rate of Analysis अधिक दर से निर्धारित किया गया। इस प्रकार Rate of Analysis अधिक बनाए जाने के कारण संविदाकार को उपरोक्त कार्य अधिक दर पर आवंटित किया गया। Rate of Analysis अधिक बनाए जाने के कारण संविदाकार को ₹2315/- का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। विवरण निम्न दिया गया है। अतः Rate of Analysis में 5.6% की अनावश्यक वृद्धि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹2315/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| Rate of Analysis as per Municipal Record |             | Rate of Analysis as per Audit     |             |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Detail of Cost for pre sq .meter         |             |                                   |             |
| Labour 100 sq. meters 3.240@ 210         | 680.40      | Lab our 100 sq. meters 3.240@ 210 | 680.40      |
| Add: Contractor’s Profit @10%            | 68.04       | Add: Contractor’s Profit @10%     | 68.04       |
| Add: Overhead Charges @5%                | 34.02       | Add: Overhead Charges @5%         | 34.02       |
| Total (Cost of 100 sq. meters)           | 782.40      | Total (Cost of 100 sq. meters)    | 782.40      |
| Cost of per sq. meters                   | 7.82        | Cost of per sq. meters            | 7.82        |
| Add: 12.5% E.P.F°                        | 0.98        | Add: 12.5% E.P.F°                 | 0.98        |
| Total                                    | 8.80        | Total                             | 8.80        |
| Add 5.6 service tax                      | 0.49        | Add 1% Labour Cess                | 0.08        |
| Total                                    | 9.30        | <b>Total</b>                      | <b>8.88</b> |
| Add 1% Labour Cess                       | 0.09        |                                   |             |
| <b>Total or say</b>                      | <b>9.40</b> |                                   |             |
| Total Qty executed                       |             | 19294 sqr mt                      |             |

|                                                                                   |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Rate Quoted by the Contractor                                                     | 15.00 per sqr mt   |  |
| Rate awarded                                                                      | 9.00.00 per sqr mt |  |
| Excess Payment (₹9- ₹8.88= ₹0.12 per sqr mt 19294 sqr mt) ₹2315.28 or say ₹2315/- |                    |  |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 433/2017 दिनांक 01.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.11 वाऊचर संख्या 34 दिनांक 10.11.2015 ₹143487/-

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | C/o Interlocked Paver Block infornt of Sh.M.L.Gupta House No. 49,50,51,52,53 Sec-1 Parwanoo Phase-2 |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | <b>MB NO. 87 Page No. 24</b>                                                                        |
| आबंटन पत्र संख्या                | 2403 Dt. 04.11.2015                                                                                 |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Sahil Sharma                                                                                    |

**गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹3127/- का अधिक भुगतान किए जाने बारे।**

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “C/o Interlocked Paver Block infornt of Sh.M.L.Gupta House No. 49,50,51,52,53 Sec-1 Parwanoo Phase-2” हेतु संविदाकार को ₹120530/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e “P/L Heavy Duty Precast CC interlocking Paver Blocks Vibro compacted up to M-50 Grade, 80mm thick” की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹3127/- का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया गया है। अतः ₹3127/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

#### अधिक भुगतान का विवरण

| Description of item                                                                                                | Executed & Paid                                  | Actual Qty. which should be paid to the Contractor | Excess Qty          | Rate                   | Total Excess payment |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| मद संख्या 3 i.e “P/L Heavy Duty Precast CC interlocking Paver Blocks Vibro compacted up to M-50 Grade, 80mm thick” | 1X1X0.94X(5.30+5.55+6.50)/3 = 8.56m <sup>2</sup> | 1X1X0.94X(5.30+5.55+6.50)/3 = 5.43 m <sup>2</sup>  | 3.13 m <sup>2</sup> | 999 per m <sup>2</sup> | 3126.87              |
| Or Say                                                                                                             |                                                  |                                                    |                     |                        | 3127.00              |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 421/2017 दिनांक 25.05.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.12 वाऊचर संख्या 11 दिनांक 3.11.2015 ₹122517/-**

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Construction of Cement drain at sector 1A in front of M .C. Shop |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 86/27-29                                                         |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./ pwn/award-2015- 1646 dated 18-8-2015                       |
| संविदाकार का नाम                 | श्री संजय गर्ग                                                   |

गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹3910/- का अधिक भुगतान किए जाने बारे।

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Construction of Cement drain at sector 1A in front of M .C. Shop हेतु ₹122517/- की राशि का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद संख्या 2 “Steel work welded in built up section trusses and framed work in grating framed ,guard bars ,ladders railing” का भुगतान करते समय गलत गणना के कारण संविदाकार को 46 किलो (5.00 RMTX9.2kg per RMT) @₹85/- की दर से ₹3910/- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः ₹3910/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| मद का नाम                                                                                                    | माप पुस्तिका अनुसार गणना                          | अंकेक्षण अनुसार गणना | अन्तर | Conversion Factor per RMT | Total Excess Qty in kg | भुगतान की दर Per K.G. | अधिक भुगतान की गई राशि |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Steel work welded in built up section in grating framed ,guard bars ,ladders railing for MS Angel 65x65x6 mm | 3X2X1.25 =12.5 RMT<br><b>MB No. 86, P. No. 28</b> | 3X2X1.25 =7.50 RMT   | 5RMT  | 9.20kg per RMT            | 46kg                   | 85/-                  | 3910                   |
| <b>Total</b>                                                                                                 |                                                   |                      |       |                           |                        |                       | 3910                   |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 432/2017 दिनांक 01.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.13 वाऊचर संख्या 26 दिनांक 9.11.2015 ₹312085/-**

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Construction of retaining wall and CC step phase-1 and Phase 2 |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 87/15-18                                                       |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./ pwn/award -2015-2253,2254 dated 14-10-2015               |
| संविदाकार का नाम                 | श्री संजय गर्ग                                                 |

गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान किए जाने बारे।

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Construction of retaining wall and CC step phase-1 and Phase 2 हेतु 312085/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर के संदर्भ में अनुबंध की मद संख्या 5 i.e “providing and laying 1:2:4 20m.m. nominal size and curing complete excluding cost of form work” और मद संख्या 4 i.e. “Providing Foam Work with steel plates” की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि CC 1:2:4 की ऊँचाई 5.067mtr, और Shuttering(Foam Work) की ऊँचाई 4.95 mtr. भुगतान की गई थी। जबकि मद संख्या 4 i.e. Shuttering (Foam Work) की ऊँचाई के अनुसार ही मद संख्या 5 i.e. CC 1:2:4 की ऊँचाई का भुगतान किया जाना था। मद संख्या 5 i.e. CC1:2:4 की ऊँचाई का अधिक भुगतान करने के कारण संविदाकार को phase-1 and Phase 2 में ₹4998/- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः ₹4998/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| Name of work                                       | Detail of MB                      | Item No. 4 i.e. Form Work                 | Item No. 5 i.e 1:2:4                | Qty of Item No. 5 i.e. 1:2:4 as per Audit as per Item No. 4 i.e. Form work | Excess Qty | Rate of Item No. 5 i.e 1:2:4 | Amount        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Construction of retaining wall and CC step phase-1 | <b>M.B. 87</b><br><b>P.No. 15</b> | 2X1X3.21X4.<br>95=31.77m <sup>2</sup>     | 3.21X(2.25+0.9)/2X5.067<br>=25.53m3 | 3.21x(2.25+0.9)/2X4.95=<br>25.02m3                                         | 0.51m3     | 4900                         | 2499/-        |
| Construction of retaining wall and CC step phase-2 | <b>M.B. 87</b><br><b>P.No. 17</b> | 2X1X3.21X4.<br>95=<br>31.77m <sup>2</sup> | 3.21X(2.25+0.9)/2X5.067<br>=25.53m3 | 3.21x(2.25+0.9)/2X4.95=<br>25.02m3                                         | 0.51m3     | 4900                         | 2499/-        |
| <b>Total</b>                                       |                                   |                                           |                                     |                                                                            |            |                              | <b>4998/-</b> |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 434/2017 दिनांक 01.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.14 वाऊचर संख्या 27 दिनांक 09.11.2015 ₹350000/-

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Construction of Kitchen in E.O. Residence         |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 86/31-32                                          |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-1034 Dated 29-5-2015 |
| संविदाकार का नाम                 | Virender Sharma                                   |

**बिना Detail Estimate, Drawing ,Rate of analysis निर्माण कार्य करवाए जाने बारे।**

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Construction of Kitchen in E.O. Residence” हेतु ₹350000/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर एवं माप पुस्तिका की अंकेक्षण में

पड़ताल करने पर पाया कि उपरोक्त कार्य की मद संख्या 2 i.e “Construction of one Modular kitchen ,Sink Chimney, Granite on Work top, G.I. fitting, C.P.fitting complete in all respect” हेतु संविदाकार को ₹350000/- का भुगतान Lumsum में किया गया था। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु कोई Detail Estimate, Drawing ,Rate of analysis नहीं बनाये गये थे। जैसा कि अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है। जबकि Himachal Pradesh Municipal works Rule 2010 के नियम 7 के अनुसार निर्माण कार्य के निष्पादन से पहले Detail Estimate, Drawing ,Rate of analysis का बनाया जाना अपेक्षित था। अतः यदि इस निर्माण कार्य हेतु किसी प्रकार का कोई Detail Estimate, Drawing ,Rate of analysis बनाया गया है तो उन सभी अभिलेखों को अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को जो एक मुश्त (Lumsum) भुगतान किया गया है उस भुगतान को Himachal Pradesh Municipal works Rule 2010 के अंतर्गत न्यायोचित ठहराया जाए। क्योंकि उक्त कार्य का आबंटन केवल ठेकेदार को अनुचित लाभ देने हेतु ही किया गया प्रतीत होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्य के आबंटन पत्र संख्या M.C./Pwn /award letter /2015-1034 Dated 29-5-2015 के अनुसार कार्य को 120 दिनों के भीतर अर्थात् दिनांक 26-9-2015 को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था तथा विलंब की स्थिति में 300/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी। जबकि इस निर्माण कार्य को दिनांक 28-10-2015 को पूर्ण किया गया। निर्माण कार्य को देरी से पूर्ण किए जाने के कारण संविदाकार से 9300/- दण्ड (₹300@31दिन 26-9-2015 से 27-10-2015) की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अभिलेखों की पड़ताल से पाया गया कि संविदाकार से इस प्रकार की कोई वसूली नहीं की गई थी। अतः आबंटन पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार देरी से कार्य को पूर्ण करने पर दण्ड वसूल न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 435/2017 दिनांक 01.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### **12.15 वाऊचर संख्या 27 दिनांक 9.11.2015 ₹128925/-**

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Hiring of J.B.C. for Removal of Garbage /slips    |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 86/42-43                                          |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-1035 Dated 29-5-2015 |
| संविदाकार का नाम                 | Virender Sharma                                   |

**निर्माण भुगतान बिल से प्रतिभूति की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.13 लाख का अनुचित लाभ दिये जाने बारे।**

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Hiring of J.B.C. for Removal of Garbage /slips हेतु ₹128925/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि संविदाकार को किये गये भुगतान से 10% प्रतिभूति(Security) ₹12892/- की कटौती नहीं की गई थी। जबकि अनुबन्ध की शर्त संख्या 1 के अनुसार 10% की कटौती की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार 10% प्रतिभूति(Security) की कटौती न करके

संविदाकार को ₹12892/- का अनुचित लाभ दिया गया। अतः ₹12892/- प्रतिभूति की कटौती न करने को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 436/2017 दिनांक 01.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.16 वाऊचरसंख्या 30 दिनांक 9.11.2015 ₹120048/-**

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Construction of Retailing wall in sector -4       |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 87/21-22                                          |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-2396 Dated 4-11-2015 |
| संविदाकार का नाम                 | श्री चिन्ता राम                                   |

अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e Execution of Excavation in earth work का निष्पादन किए बिना ही मद संख्या 4 i.e Disposal of excavated earth up to lead of 1 k.m हेतु ₹53800/- का भुगतान संविदाकार को किए जाने बारे।

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को **Construction of Retailing wall in Sector -4** हेतु ₹120048/- का भुगतान किया गया था। जिसके लिए निम्न लिखित मदों का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था

| Sr° No. | Name of Item                                                                                                                    | Quantity Executed & Paid | Rate Allotted |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1       | P/L 1:2:4 20m.m. Nominal size and curing complete in all leads and curing complete                                              | 12.42 cum                | 4800/-        |
| 2       | Providing Foam Work with steel plate 3.15 mm thick including carriage of material in all leads and lifts                        | 33.16Sqm                 | 200/-         |
| 3       | Excavation in earth work and filling in 15 c.m. layer in foundation and plinth upto lead of 20 meters and lift up to 1.5 meters | 269 cum                  | 180/-         |
| 4       | Disposal of excavated earth up to lead of 1 k.m.                                                                                | 269 cum                  | 200/-         |

इस निर्माण कार्य से संबन्धित माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबन्ध की मद संख्या 4 i.e Disposal of excavated earth up to lead of 1 k.m के लिए 269 cum @ 200/- प्रति घन मी. की दर से कुल ₹53800/- का भुगतान किया गया। जबकि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मद संख्या 3 Excavation in earth work and filling in 15 c.m. layer in

foundation and plinth upto lead of 20 meters and lift up to 1.5 meters कभी भी निष्पादित नहीं की गई थी। क्योंकि अनुबन्ध की मद संख्या 3 के निष्पादन की कोई प्रविष्टि माप पुस्तिका में दर्ज नहीं थी। जिस कारण से मद संख्या 4 i.e Disposal of excavated earth up to lead of 1 k.m हेतु किया गया भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता है। निर्माण नियमों के अनुसार मद संख्या 3 i.e Excavation in earth work के पश्चात ही मद संख्या 4 i.e Disposal of excavated earth up to lead of 1 k.m. निष्पादन एवं भुगतान किया जाना था। अतः अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e Execution of Excavation in earth work का निष्पादन किए बिना ही मद संख्या 4 i.e Disposal of excavated earth up to lead of 1 k.m हेतु ₹53800/- के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 445/2017 दिनांक 13.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.17 वाऊचर संख्या 32 दिनांक 9.11.2015 ₹156036/-

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Construction of cement concrete Road in sector-5   |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 87/9-10                                            |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-2282 Dated 14-10-2015 |
| संविदाकार का नाम                 | श्री सौरभ                                          |

अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e. Cutting in earth work की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान किए जाने बारे।

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Construction of cement concrete Road in sector-5 परवाणु” हेतु ₹156036/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि उपरोक्त कार्य की अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e. Cutting in earth work हेतु लंबाई में 36 मीटर खुदाई दर्शाई एवं भुगतान की गई थी। इस निर्माण कार्य के लिए अनुबन्ध की मद संख्या 2 i.e CC 1:6:12 एवं अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e CC 1:2:4 हेतु लंबाई की मात्रा 23 मीटर दर्शाई एवं भुगतान की गई थी।(MB No. 87, P.No. 9) जबकि नियमानुसार मद संख्या 1 i.e Cutting in earth work की लंबाई मद संख्या i.e CC 1:6:12 एवं अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e CC 1:2:4 के बराबर ही ली जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e. Cutting in earth work की लंबाई 13 मीटर अधिक दर्शाई एवं भुगतान की गई थी। परिणामस्वरूप मद संख्या 1 i.e. Cutting in earth work हेतु संविदाकार को ₹7862/- (13×1.8×1.2=28.08घन मी @280/- प्रति घन मी) का अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को किए गए ₹7862/ अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 446/2017 दिनांक 13.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.18 वाऊचर संख्या 26 दिनांक 9.11.2015 ₹132866/-**

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Construction of interlocked Tiles in Sector-2     |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 86/23-25                                          |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-1653 Dated 18-8-2015 |
| संविदाकार का नाम                 | श्री कुन्दन लाल                                   |

अनुबंध की मद संख्या 5 i.e. “ Providing and laying 1:2:4 20m.m.” की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान किए जाने बारे।

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Construction of interlocked Tiles in Sector-2, परवाणु हेतु ₹132866/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद संख्या 5 “ Providing and laying 1:2:4 20m.m. Nominal size and curing complete in all leads and curing complete का भुगतान करते समय माप पुस्तिका में गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹11842/- का अधिक भुगतान किया गया । जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है । अतः ₹11842/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए।

| मद का नाम                                                                                            | माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | माप पुस्तिका अनुसार गणना | अंकेक्षण अनुसार गणना | अन्तर               | भुगतान की दर        | अधिक भुगतान की गई राशि |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| “Providing and laying 1:2:4 20m.m. Nominal size and curing complete in all leads and curing complete | 86/25                            | 6.16 m <sup>3</sup>      | 3.68 m <sup>3</sup>  | 2.48 m <sup>3</sup> | 4775/- प्रति घन मी. | 11842.00               |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 447/2017 दिनांक 13.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.19 वाऊचर संख्या 51 दिनांक 29.09.2015 ₹121938/-**

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Construction of Main Sewer line in sector -4      |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 86/8                                              |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-1642 Dated 18-8-2015 |
| संविदाकार का नाम                 | Sh.Chinta Ram                                     |

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. Excavation in earth work की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. Excavation in earth work के संदर्भ में संविदाकार को ₹260.00 प्रति घन मी. की दर से 53.20 घन मी. हेतु भुगतान किया गया था। इस भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में P.V.C Pipe (External) के संदर्भ में CPWD specification से अधिक चौड़ाई में खुदाई हेतु भुगतान किया गया था। CPWD Specification Rule 20.6 Laying and Jointing of P.V.C (External Work) में Trench की चौड़ाई Dia of Pipe + 40 cm होनी चाहिए। 150mm Dia हेतु उपरोक्त नियम अनुसार Trench की चौड़ाई 55cm (15cm + 40cm) होनी चाहिए थी। जबकि MB 86/8-Page.No. 8-11 के अनुसार संविदाकार को 1से 1.5 मीटर तक की चौड़ाई का खुदाई हेतु भुगतान किया था। इस प्रकार संविदाकार को ₹6755.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इस अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

| Name of Item                                                                             | Qty Executed & Paid                                                                                                               | Qty as per Audit                                                                                                                | Excess Qty                       | Rate            | Total Excess payment            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Excavation in Trenches in Earth Work upto 1.50 mtr for 150m.m. .P.V.C. Pipe for Sewerage | 1x28.05x1x1.5= 42.07 m <sup>3</sup><br>3x1.5x1.5x1.65 =11.13 m <sup>3</sup><br><b>Total</b><br>42.07+11.13 = 53.20 m <sup>3</sup> | 1x28.05x0.55x1.5=23. 14.m <sup>3</sup><br>3x1.5x0.55x1.65= 4.08m <sup>3</sup><br><b>Total</b> 23.14+4.08 = 27.22 m <sup>3</sup> | 53.20-27.22= 25.98m <sup>3</sup> | 260 प्रति घन मी | 6754.80                         |
| <b>Total</b>                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                  |                 | <b>6754.80</b><br>or say 6755/- |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 448/2017 दिनांक 13.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.20 वाऊचर संख्या 46 दिनांक 21.01.2017 ₹371893/-

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Construction of interlocked Paver blocks in Sector-6 |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 93/16-19                                             |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-1049 Dated 28-6-2016    |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Sanjay Garg.                                     |

अनुबंध की मद संख्या 3 i.e “Providing and laying interlocked Paver blocks” की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹2529 का अधिक भुगतान

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Construction of interlocked Paver blocks in Sector-6, Parwanoo हेतु ₹371893 का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद संख्या 3 i.e “Providing and laying interlocked Paver blocks” का भुगतान करते समय माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹2529/- का अधिक भुगतान किया गया माप पुस्तिका संख्या 93 पृष्ठ संख्या

18 पर उक्त मद की मात्रा का योग 259.30 m<sup>3</sup> दर्शाया गया है। जबकि वास्तव में उक्त मद का योग 256.98 m<sup>3</sup> बनता है। जिस कारण उक्त मद हेतु 2.32m<sup>3</sup> हेतु @₹1090/- की दर से ₹2529/- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः ₹2529/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए।

| मद का नाम                                     | माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | माप पुस्तिका अनुसार गणना | अंकेक्षण अनुसार गणना  | अन्तर               | भुगतान की दर | अधिक भुगतान की गई राशि |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| Providing and laying interlocked Paver blocks | 93/18                            | 259.30 m <sup>3</sup>    | 256.98 m <sup>3</sup> | 2.32 m <sup>3</sup> | 1090         | 2529.00                |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 451/2017 दिनांक 14.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.21 वाऊचर संख्या 37 दिनांक 16.07.2016 ₹137362/-

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Special Repair & Maintenance of Bitumen Road in Sector -3 |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 92/11                                                     |
| आवंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /award letter /2015-961Dated 1 -6-2016           |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Virender Sharma                                       |

गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹1125 का अधिक भुगतान बारे

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Special Repair & Maintenance of Bitumen Road in sector -3” हेतु 137362/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद संख्या 2 “Providing, Laying, Spreading and compacting stone aggregates grading -2 as per Technical specification by Mechanical means” की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹1125/- का अधिक भुगतान किया। जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः ₹1125/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹1125/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

| Name of Item / item no. | M.B. No /Page No | Qty Execute d & Paid | Qty as per Audit To be Paid | Excess Qty. | Rate | Total Excess payment |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|------|----------------------|
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|------|----------------------|

|                                                                                                                            |       |                     |                     |                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|------|------|
| Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates grading -2 as per Technical specification by Mechanical means | 92/11 | 12.71m <sup>3</sup> | 11.81m <sup>3</sup> | 0.90m <sup>3</sup> | 1250 | 1125 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|------|------|

**Total 1125**

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 461/2017 दिनांक 22.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.22 वाऊचर संख्या 37 दिनांक 16 -7-2016 ₹482835/-

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Special Repair & Maintenance of Bitumen Road in Sector -4 |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 90/27                                                     |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /Award letter /2015-953 Dated 1 -6-2016          |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Virender Sharma                                       |

**Road Tiring** की विभिन्न मदों हेतु अनुमोदित दरों की तुलना में अधिक दर से भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Special Repair & Maintenance of Bitumen Road in Sector -4” हेतु ₹482835/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि अनुबंध की मद संख्या 3 व 4 हेतु अनुमोदित दरों की तुलना में अधिक दर से भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को ₹13110 /- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः ₹13110 के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹13110/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

| Name of Item / item no.                                                         | M.B. No /Page No | Qty. Executed      | Rate Allotted per m <sup>2</sup> | Rate Given per m <sup>2</sup> | Diff. per m <sup>2</sup> | Total Excess payment |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Providing and applying tack coat with Bitumen S-90 @0.25 to 0.30 kg per SQM (3) | 90/27            | 1311m <sup>2</sup> | 50                               | 55                            | 5                        | 6555                 |
| Providing laying premix carpet of 20mm Thickness(4)                             | 90/27            | 1311m <sup>2</sup> | 230                              | 235                           | 5                        | 6555                 |

**Total 13110**

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 462/2017 दिनांक 22.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.23 वाऊचर संख्या 37 दिनांक 16.07.2016 ₹ 482835/-

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | Special Repair & Maintenance of Bitumen Road in Sector -4 |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 90/27                                                     |
| आबंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /Award letter /2015-953 Dated 1 -6-2016          |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Virender Sharma                                       |

### **Road Tiring हेतु Bitumen की कम खपत के कारण ₹0.65 लाख का संभावित अधिक भुगतान**

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को “Special Repair & Maintenance of Bitumen Road in sector -4” हेतु ₹482835/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि Road Tiring हेतु अनुबन्ध के अनुसार नगर परिषद द्वारा ₹6350/ की दर से Bitumen की आपूर्ति की जानी आपेक्षित थी तथा नगर परिषद द्वारा इडेंट संख्या 3 दिनांक 01.06.2016 द्वारा Bitumen के 10 ड्रम जारी किए गए जबकि उक्त कार्य हेतु निम्न विवरण अनुसार 20.29 ड्रम की खपत की जानी आपेक्षित थी 10.29 Bitumen ड्रम (20.29 ड्रम-10 ड्रम) की कम खपत के कारण संविदाकार को 10.29 ड्रम@ ₹6350/- की दर से ₹65151/- का संभावित अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः ₹65151 के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹65151/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

| Name of Item / item no.                                                     | M.B. No /Page No | Qty. Executed       | Consumption factor of bitumen per 10 m <sup>2</sup> | Consumption of Bitumen in kg | Consumption of Bitumen in Drum = Bitumen in kg/156 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Providing and Applying tack coat with Bitumen S-90 @0.25 to 0.30 kg per Sqm | 90/27            | 1311 m <sup>2</sup> | 2.75per 10 Sqm                                      | 360.52                       | 2.31 drum                                          |
| Providing laying premix carpet of 20mm Thickness                            | 90/27            | 1311 m <sup>2</sup> | 14.6 per 10 Sqm                                     | 1914                         | 12.27drum                                          |
| Providing laying Seal Coat sealing in Voids.                                | 90/27            | 1311 m <sup>2</sup> | 6.8 per 10 Sqm                                      | 891.48                       | 5.71 drum                                          |
| <b>Total</b>                                                                |                  |                     |                                                     |                              | <b>20.29 drum</b>                                  |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 463/2017 दिनांक 22.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.24 वाऊचर संख्या 37**

**दिनांक 16.07.2016 ₹719407/-**

कार्य का नाम

C/O CC Retaining Wall in Front of Block No. 26 at Nallaha Side

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 90 P.No. 46 to 49 (Final Bill)                     |
| आवंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /Award letter /2015-1041 Dated 28.06.2016 |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Saurabh Daroch                                 |

(क) अनुबन्ध की मद संख्या 2 “ Excavation in foundation & trenches etc. in earth work(MB 90 P.No. 46,47) के संदर्भ में गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹2352.00 का अधिक भुगतान

संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 2 “Excavation in foundation & trenches etc. in earth work(MB 90 P.No. 46,47) के संदर्भ में गलत गणना किए जाने के कारण ₹2352.00 का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

| Qty executed & paid to the Contractor              | Qty as per Audit                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1X1X11.55X2.10X1.50= 36.38m <sup>3</sup>           | 1X1X11.55X2.10X1.50= 36.38m <sup>3</sup>           |
| 1X1X2X4.80X0.20 = 1.92 m <sup>3</sup>              | 1X1X2X4.80X0.20 = 1.92 m <sup>3</sup>              |
| 1X1X2.20X15X0.20= 6.60 m <sup>3</sup>              | 1X1X2.20X15X0.20= 6.60 m <sup>3</sup>              |
| 1X1X11.80X(7.45+7.70)/2x0.20= 17.87 m <sup>3</sup> | 1X1X11.80X(7.45+7.70)/2x0.20= 17.87 m <sup>3</sup> |
| 1X1X13.50X(7.55+8.00)/2x0.20= 20.99 m <sup>3</sup> | 1X1X13.50X(7.55+8.00)/2x0.20= 20.99 m <sup>3</sup> |
| 1X1X11.80X(3.70+4.70)/2x0.20= 16.80 m <sup>3</sup> | 1X1X11.80X(3.70+4.70)/2x0.20= 16.80 m <sup>3</sup> |
| Total 111.76 m <sup>3</sup>                        | Total 100.56 m <sup>3</sup>                        |
| Qty paid to the Contractor                         | 111.76 m <sup>3</sup>                              |
| Qty as per Audit                                   | 100.56 m <sup>3</sup>                              |
| Excess Qty                                         | 11.20 m <sup>3</sup>                               |
| Rate per Cum                                       | 210/-                                              |
| Total Excess payment to the Contractor             | 2352/-                                             |

(ख) गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.46 लाख का अधिक भुगतान ।

निर्माण से संबन्धित मान्य नियमों के अनुसार जिस स्थान पर Excavation की गई हो उसी स्थान हेतु सीसी 1:6:12 और सीसी 1:2:4 का भुगतान किया जाता है। जब तक कि अनुबन्ध, स्वीकृत ड्राइंग या माप पुस्तिका में कुछ अन्य न लिखा गया हो। उपरोक्त निर्माण के संदर्भ में अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस तरह का कोई तथ्य अनुबन्ध या माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था। इस निर्माण कार्य के संदर्भ में बिना Excavation के ही अनुबन्ध की मद संख्या 3 “ P/L CC 1:6:12” और मद संख्या 6 “P/L CC 1:2:4” का भुगतान संविदाकार को किया गया था। इस प्रकार अनुबन्ध की मद संख्या 3 “ P/L CC 1:6:12” और मद संख्या 6 “P/L CC 1:2:4” के संदर्भ में संविदाकार को ₹46200/- का अधिक भुगतान किया गया था (विवरण निम्न दिया गया है)। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में बिना Excavation के CC 1:6:12 और CC 1:2:4 भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को कुल ₹48552/- (2352+46200) का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| अनुबन्ध की मद का विवरण      | Qty executed & paid to the Contractor          | Rate per cum              | Total Excess payment | Remarks                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मद संख्या 3 “ P/L CC 1:6:12 | 1X1X9.70X(4.10+7.45)/2x0.10=5.60m <sup>3</sup> | 2950/- per m <sup>3</sup> | 16520.00             | इस मात्रा के लिए किसी प्रकार की कोई Excavation नहीं की गई थी और न ही इस संदर्भ में माप पुस्तिका में कोई तथ्य रिकॉर्ड किया गया था। |
| मद संख्या 6 “ P/L CC 1:2:4  | 1X1X9.70X(4.10+7.45)/2x0.10=5.60m <sup>3</sup> | 5300/- per m <sup>3</sup> | 29680.00             | इस मात्रा के लिए किसी प्रकार की कोई Excavation नहीं की गई थी और न ही इस संदर्भ में माप पुस्तिका में कोई तथ्य रिकॉर्ड किया गया था। |
| <b>Total</b>                |                                                |                           | <b>46200.00</b>      |                                                                                                                                   |

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 464/2017 दिनांक 22.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.25 वाऊचर संख्या 42 दिनांक 20.07.2016 ₹156810/-

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम                     | C/O Road side Burms Shiv Temple Mandir main Road Near Block No. 27 towards Block No. 20 Sec-04 Parwanoo |
| माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या | 90 P.No. 46 to 49 (Final Bill)                                                                          |
| आवंटन पत्र संख्या                | M.C./Pwn /Award letter /2015-1054 Dated 28.06.2016                                                      |
| संविदाकार का नाम                 | Sh. Saurabh Daroch                                                                                      |

(क) अनुबन्ध की मद संख्या 2 “Excavation in foundation & trenches etc. in earth work(MB 90 P.No. 50) के संदर्भ में गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹1758.00 का अधिक भुगतान

संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 2 “Excavation in foundation & trenches etc. in earth work(MB 90 P.No. 50) के संदर्भ में गलत गणना किए जाने के कारण ₹1758.00 का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

| Qty executed & paid to the Contractor                      | Qty as per Audit                  |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1X1X12X(0.45+2.45+2.65)/3X0.10<br>= 2.22 m <sup>3</sup>    | 1X1X12X(0.45+2.45+2.65)/3X0.10    | = 2.22 m <sup>3</sup> |
| 1X1X16.70X(2.65+2.50+2.25)/3X0.10<br>= 4.11 m <sup>3</sup> | 1X1X16.70X(2.65+2.50+2.25)/3X0.10 | = 4.11 m <sup>3</sup> |
| 1X1X8X(2.70+3.00)/2X0.10<br>= 2.28 m <sup>3</sup>          | 1X1X8X(2.70+3.00)/2X0.10          | = 2.28 m <sup>3</sup> |
| 1X1X17.50X(1.60+0.45)/2X0.10<br>= 1.79 m <sup>3</sup>      | 1X1X17.50X(1.60+0.45)/2X0.10      | = 1.79 m <sup>3</sup> |
| 1X1X28.60X(0.45+1.80+0.80)/3X0.10<br>= 2.90 m <sup>3</sup> | 1X1X28.60X(0.45+1.80+0.80)/3X0.10 | = 2.90 m <sup>3</sup> |
| 1X1X9.70X(0.80+0.75)/2X0.10<br>= 0.75 m <sup>3</sup>       | 1X1X9.70X(0.80+0.75)/2X0.10       | = 0.75 m <sup>3</sup> |

|                                                          |                                  |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| $1X1X8.30X(0.75+1.20)/2X0.10$<br>$= 0.80 \text{ m}^3$    | $1X1X8.30X(0.75+1.20)/2X0.10$    | $= 0.80 \text{ m}^3$       |
| $1X1X29X(3.90+2.40+1.10)/3X0.10$<br>$= 7.15 \text{ m}^3$ | $1X1X29X(3.90+2.40+1.10)/3X0.10$ | $= 7.15 \text{ m}^3$       |
| $1X1X30X(1.10+1.50+0.90)/3X0.10$<br>$= 3.49 \text{ m}^3$ | $1X1X30X(1.10+1.50+0.90)/3X0.10$ | $= 3.49 \text{ m}^3$       |
| $1X1X30X(1.10+1.50+0.90)/3X0.10$<br>$= 3.49 \text{ m}^3$ | $1X1X30X(1.10+1.50+0.90)/3X0.10$ | $= 3.49 \text{ m}^3$       |
| $1X1X6.45X(2.30+3.25)/2X0.10$<br>$= 1.78 \text{ m}^3$    | $1X1X6.45X(2.30+3.25)/2X0.10$    | $= 1.78 \text{ m}^3$       |
| <b>Total 39.13 m<sup>3</sup></b>                         | <b>Total</b>                     | <b>30.76 m<sup>3</sup></b> |
| Qty paid to the Contractor                               |                                  | 39.13 m <sup>3</sup>       |
| Qty as per Audit                                         |                                  | 30.76 m <sup>3</sup>       |
| Excess Qty                                               |                                  | 8.37 m <sup>3</sup>        |
| Rate per Cum                                             |                                  | 210/-                      |
| Total Excess payment to the Contractor                   |                                  | 1758/-                     |

(ख) गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹15758.00 का अधिक भुगतान

निर्माण से संबन्धित मान्य नियमों के अनुसार जिस स्थान पर Excavation की गई हो उसी स्थान हेतु सीसी 1:6:12 और सीसी 1:2:4 का भुगतान किया जाता है। जब तक कि अनुबन्ध, स्वीकृत ड्राइंग या माप पुस्तिका में कुछ अन्य न लिखा गया हो। उपरोक्त निर्माण के संदर्भ में अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस तरह का कोई तथ्य अनुबन्ध या माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था। इस निर्माण कार्य के संदर्भ में बिना Excavation के ही अनुबन्ध की मद संख्या 2 “ P/L CC 1:6:12” और मद संख्या 3 “P/L CC 1:2:4” का भुगतान संविदाकार को किया गया था। इस प्रकार अनुबन्ध की मद संख्या 2 “ P/L CC 1:6:12” और मद संख्या 3 “P/L CC 1:2:4” के संदर्भ में संविदाकार को ₹15758/- का अधिक भुगतान किया गया था (विवरण निम्न दिया गया है)। इस प्रकार बिना Excavation के CC 1:6:12 और CC 1:2:4 के संदर्भ में संविदाकार को कुल ₹17516/- (1758+5635+10123) का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| अनुबन्ध की मद का विवरण      | Qty executed & paid to the Contractor                      | Rate per cum              | Total Excess payment | Remarks                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मद संख्या 2 “ P/L CC 1:6:12 | $1X1X25X(0.70+1.20+2.70)/3 \times 0.05 = 1.91 \text{ m}^3$ | 2950/- per m <sup>3</sup> | 5635.00              | इस मात्रा के लिए किसी प्रकार की कोई Excavation नहीं की गई थी और न ही इस संदर्भ में माप पुस्तिका में कोई तथ्य रिकॉर्ड किया गया था। |
| मद संख्या 3 “P/L CC 1:2:4   | $1X1X25X(0.70+1.20+2.70)/3 \times 0.05 = 1.91 \text{ m}^3$ | 5300/- per m <sup>3</sup> | 10123.00             | इस मात्रा के लिए किसी प्रकार की कोई Excavation नहीं की गई थी और न ही इस संदर्भ में माप पुस्तिका                                   |

में कोई तथ्य रिकॉर्ड किया गया था।

**Total 15758.00**

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 464 A/2017 दिनांक 22.06.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2039 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.26 Road Tairing के विभिन्न कार्य की माप पुस्तिका मे गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.84 लाख का अधिक भुगतान करना**

अंकेक्षण के दौरान Road Tiring के विभिन्न कार्यों की पड़ताल करने पर पाया कि संबन्धित मदों की माप पुस्तिका में प्रविष्टि करते समय गलत गणना की गई थी। विभिन्न मदों की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹83893/- का अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-छ पर दिया गया है। विभिन्न मदों की माप पुस्तिका में गलत गणना अपने आप में एक गंभीर अनियमितता है। अतः माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹83893/- का अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹83893 /-के अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 473/2017 दिनांक 01.07.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2040 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जायेगी और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

**12.27 देरी से निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदाकार से दण्ड की ₹400,000/- का वसूल न किया जाना**

|                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्य का नाम      | C/O Houses for Urban Poor Under Integrated Housing & Slum Development Programme for Urban Poor(IHSDP) in Parwanoo Distt. Solan(H.P.) (SH: C/o Community Hall Over existing Parking Sector-1 MC Complex) |
| आबंटन पत्र संख्या | M.C./Pwn /Award letter /2014-328 Dated 15.10.2014                                                                                                                                                       |
| संविदाकार का नाम  | Sh. Varendar Sharma                                                                                                                                                                                     |

अंकेक्षण में उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवार्ड पत्र संख्या M.C./Pwn /Award letter /2014-328 Dated 15.10.2014 की शर्त संख्या 3 के अनुसार “Work should be completed within 9 months days positively in all respect failing which a penalty of Rs. 3500/- per day up to a maximum of Rs. 400000/- will be charged addition to the provision of the agreement clauses.” अर्थात् यह कार्य संविदाकार द्वारा 9 माह में पूर्ण किया जाना था। देरी की स्थिति में संविदाकार द्वारा ₹3500/- प्रति दिन और अधिकतम ₹400,000/- का दण्ड देय था। इस शर्त के अनुसार यह निर्माण कार्य दिनांक 14.07.2015 को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु वर्तमान समय में भी यह निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण न किए जाने के कारण संविदाकार पर अनुबन्ध की उपरोक्त शर्त के अनुसार दण्ड लगाया जाना

आपेक्षित था। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस संदर्भ में संविदाकार के साथ किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार नहीं किया गया था। अतः देरी से कार्य पूर्ण किए जाने के कारण संविदाकार पर दण्ड न लगाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्तमान में इस निर्माण कार्य को देरी से पूर्ण किए जाने के लिए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दण्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) **Work Done But not measured** के आधार पर प्रदान किए गए अग्रिम ₹500000/- की राशि को समायोजित न किया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस निर्माण कार्य हेतु वाऊचर संख्या 13 दिनांक 03.02.2017 से ₹500,000/- का अग्रिम संविदाकार को Work Done But not measured के आधार पर प्रदान किया गया था। परन्तु यह अग्रिम वर्तमान समय तक समायोजित नहीं किया गया था। इस प्रकार से ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है। अतः इस अग्रिम को शीघ्र अतिशीघ्र समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- (ख) इस निर्माण कार्य से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विस्तृत अनुमान तथा भुगतान दरों के विस्तृत विवरण अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस विषय में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 31(2) में भी आपत्ति दर्ज की गई थी। परन्तु इस विषय में वर्तमान समय तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अभिलेख उपलब्ध न करवाना एक गम्भीर मामला है। अतः इस विषय में सभी आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

#### 12.28 निर्माण कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए जा रहे सीमेंट, सरिया, एवं तारकोल (Bitumen) को नगर परिषद द्वारा अपने स्टॉक & स्टोर से जारी नहीं किए जाने बारे।

निर्माण बिलों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कुछ निर्माण कार्यों के मामले में निष्पादन हेतु संविदाकारों को सीमेंट, सरिया, एवं तारकोल (Bitumen) अपने स्टॉक & स्टोर से जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपने स्टॉक & स्टोर से सीमेंट एवं सरिया जारी किया जाना आवश्यक है। क्योंकि संविदाकार द्वारा अपने आप सीमेंट, सरिया, एवं तारकोल (Bitumen) उपयोग किए जाने से यह संभावना बनी रहती कि ज्यादा लाभ कमाने के प्रयास में उनके द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन में घटिया किस्म का सीमेंट, सरिया, एवं तारकोल (Bitumen) का उपयोग किया गया हो। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नगर परिषद के निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट, सरिया, एवं तारकोल अपने स्टॉक एवं स्टोर से जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए और यदि सीमेंट, सरिया, एवं तारकोल अपने स्टॉक एवं स्टोर से जारी नहीं किया जाता तो संविदाकारों से निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए सीमेंट, सरिया, एवं तारकोल

इत्यादि की खरीद से संबन्धित बिल संविदाकारों को भुगतान करने से पूर्व अभिलेख में लेने सुनिश्चित किए जाये जिससे यह सुनिश्चित किए जा सके कि निर्माण कार्यों में उपयोग की सामग्री उच्च गुणवत्ता की हैं।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 457/2017 दिनांक 01.07.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2041 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की इस विषय में कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

## 12.29 निर्माण कार्यों को तीन/पाँच लाख से कम भागो में बांटने के कारण ₹55.48 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

Himachal Pradesh Municipal Rule 2010 के नियम 3(1) अनुसार नगरपालिका को केवल पाँच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है तथा नियम 4(2) के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता को केवल तीन लाख की राशि व सहायक अभियन्ता को दस लाख की राशि तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है। अंकेक्षण में नगर परिषद के विभिन्न निर्माण कार्य की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद ने प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति को Avoid करने के लिए एक ही प्रकार के विभिन्न निर्माण कार्य को अलग अलग कार्यों में बांटकर अपने स्तर पर ही प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। जोकि वर्णित नियमों की अनदेखी करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा कार्यों को अलग-2 भागो में बांटने के कारण इन कार्यों पर समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन पर भी अलग-2 व्यय किया गया। अतः ₹5548028/- के निर्माण कार्य जिसका विवरण निम्न दिया गया है, को अलग-2 भागो में बांटने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही इस गंभीर वित्तीय अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 467/2017 दिनांक 01.07.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2042 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

### विस्तृत विवरण

| Sr. No. | Name of Work /Date of Award                                                                                                              | Name of Contractor | Amount (₹) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1       | Congress Grass cutting all Sector / wards M.C<br>Parwanoo Award Letter No. 1659 dated 18-8-2015                                          | Sh. Sanjay Garg    | 200430-00  |
| 2       | Congress Grass cutting all Sector / wards M.C<br>Parwanoo Award Letter No. 1656 dated 18-8-2015                                          | Sh. Sanjay Garg    | 173646-00  |
| 3       | Construction of retaining wall and C.C Step opposite<br>block no. 44 Sector-6 Parwanoo phase-1 Award<br>Letter No. 2253 dated 14-10-2015 | Sh. Sanjay Garg    | 155715-00  |
| 4       | Construction of retaining wall and C.C Step opposite                                                                                     | Sh. Sanjay Garg    | 156370-00  |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|    | block no. 44 Sector-6 Parwanoo phase-2 Award<br>Letter No. 2254 dated 14-10-2015                                                                                                                             |                        |           |
| 5  | Construction of retaining wall and C.C Step opposite<br>block no. 44 Sector-6 Parwanoo phase-3 Award<br>Letter No. 2255 dated 14-10-2015                                                                     | Sh. Sanjay Garg        | 150767-00 |
|    | Drain cleaning all Sector in M.C Parwanoo Award<br>Letter No. 1657dated 18-8-2015                                                                                                                            | Sh. Sanjay Garg        | 115292-00 |
| 6  | Drain cleaning all Sector in M.C Parwanoo Award<br>Letter No. 1658dated 18-8-2015                                                                                                                            | Sh. Sanjay Garg        | 109650-00 |
| 7  | Construction of interlocked paver block in front of<br>Sh. M.L Gupta House No. 49-50 ,51 52,53 Sector-1<br>Parwanoo. Phase-2 Award Letter No. 2403 dated<br>04-11-2015                                       | Sh. Sahil Sharma       | 143487-00 |
| 8  | Construction of interlocked paver block in front of<br>Sh. M.L Gupta House No. 49-50 ,51 52,53 Sector-1<br>Parwanoo. Award Letter No. 2404 dated 04-11-<br>2015                                              | Sh. Sahil Sharma       | 144144-00 |
| 9  | Construction of cement conc. retaining wall path<br>side from High Mast Light Sector-4 Parwanoo<br>towards residential block No. 8 ,9 Sector-5<br>Parwanoo Phase-2 Award Letter No. 2269 dated<br>14-10-2015 | Sh. Ashwani<br>Thakur  | 137742-00 |
| 10 | Construction of cement conc. retaining wall path<br>side from High Mast Light Sector-4 Parwanoo<br>towards residential block No. 8 ,9 Sector-5<br>Parwanoo Phase-2 Award Letter No. 2270 dated<br>14-10-2015 | Sh. Ashwani<br>Thakur  | 137064-00 |
| 11 | Construction of cement conc. retaining wall back<br>side of Block No.8 Sector-4 Parwanoo Phase-1<br>Award Letter No. 2269 dated 14-10-2015                                                                   | Sh. Ashwani<br>Thakur  | 148047-00 |
| 12 | Construction of cement conc. retaining wall back<br>side of Block No.8 Sector-4 Parwanoo Phase-2<br>Award Letter No. 2270 dated 14-10-2015                                                                   | Sh. Ashwani<br>Thakur  | 139852-00 |
| 13 | Special repair and maintenance of bitumen<br>premixing surface road from main Entrance Kasauli<br>Road towards Lotous School side Sector-4<br>Parwanoo. Award Letter No. 953 Dated 1-6-2016                  | Sh. Virender<br>Sharma | 482835-00 |
| 14 | Special repair and maintenance of bitumen<br>premixing surface road from Lord Shiv Temple<br>towards Police Check post side Sector-4 Parwanoo.                                                               | Sh. Virender<br>Sharma | 475113-00 |

|              |                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              | Award Letter No. 957 Dated 1-6-2016                                                                                                                                                                         |                       |                   |
| 15           | Special repair and maintenance of bitumen premixing surface road from Ashok Dhobi towards Sh. Virender House Sector-4 Parwanoo. Award Letter No. 959 Dated 1-6-2016                                         | Sh. Virender Sharma   | 482580-00         |
| 16           | Special repair and maintenance of bitumen premixing surface road from M/s Himalaya an Juice bar N.H -22 towards M/s Kamla Dials Sector-3 Parwanoo. Award Letter No. 960 Dated 1-6-2016                      | Sh. Virender Sharma   | 484341-00         |
| 17           | Special repair and maintenance of bitumen premixing surface road from main.N.H-22 towards HIMUDA Guest House & HIG House No.26 to Sh. B.S Dari House Sector-3 Parwanoo. Award Letter No. 967 Dated 1-6-2016 | Sh. Virender Sharma   | 487601-00         |
| 18           | Special repair and maintenance of bitumen premixing surface road from Shiwalik Hotel towards M.C SHOP Sector-1A Parwanoo. Award Letter No. 964 Dated 1-6-2016                                               | Sh. Sanjay Kumar Garg | 468880-00         |
| 19           | Special repair and maintenance of bitumen premixing surface road from HIG House No.-1A towards Sh. Vinod Sultanpuri House HIG-20 Sector-1A Parwanoo. Award Letter No. 966 Dated 1-6-2016                    | Sh. Sanjay Kumar Garg | 349556-00         |
| 20           | Special repair and maintenance of bitumen premixing surface road from NJPC Chowk towards Fish pond Sector-1A Parwanoo. Award Letter No. 970 Dated 1-6-2016                                                  | Sh. Sanjay Kumar Garg | 404916-00         |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                                             |                       | <b>5548028.00</b> |

### 12.30 E-Tendering के माध्यम से निर्माण कार्य आबंटन न किए जाने बारे ।

निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(F)- Tender-Engg-Cell -23793-847 दिनांक 07.04.2015 के अनुसार अवधि 21-03-2016 तक ₹1 लाख तथा अवधि 21-03-2016 के पश्चात ₹5 लाख से अधिक के निर्माण कार्य हेतु E-Tendering के माध्यम से कार्य का आबंटन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की पड़ताल पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान ₹5434938.00 के निर्माण कार्य E-Tendering के माध्यम से आबंटित नहीं किए गए । जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों की अवेहलना है, साथ ही एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। E-Tendering के माध्यम से कार्य आबंटित करने से निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर होने की संभावना बनी रहती है, जिससे नगर परिषद को वित्तीय लाभ होता साथ ही बाजार प्रतिस्पर्दा का भी लाभ मिलता। बिना E-Tendering के माध्यम से आबंटित कार्य का विवरण निम्न दिया गया है । अतः बिना E-Tendering के माध्यम से कार्य के आबंटन को न्यायोचित ठहराया जाए। यह मामला शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यान मे इस आशय के साथ लाया जाता है कि निर्माण कार्य आबंटन हेतु E. Tendering प्रणाली को लागू करवाया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 472/2017 दिनांक 01.07.2017 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/Parwanoo/Audit/2017-2043 दिनांक 01.07.2017 से सूचित किया गया की कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

| <b>Detail of Work Allotted without E. Tendering.</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>S.NO</b>                                          | <b>NAME OF WORK / Date of Allotment</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>NAME OF THE CONTRACTOR</b> | <b>AMOUNT</b> |
| 1                                                    | Construction of kitchen in E.o residence Rehan Basera Building Sector-1 Parwanoo ( Award Letter No. 1034 dated 29-5-2015                                                                                                                    | Sh. Virender Sharma           | 350000-00     |
| 2                                                    | Hiring of JCB various Sector in M.C Parwanoo( Award Letter No. 10345dated 29-5-2015                                                                                                                                                         | -----Do----                   | 128925-00     |
| 3                                                    | Construction of U-Shape drain from Rehari Markit towards LIG- House No. 7 Sector-1 Parwanoo. ( Award Letter No. 2285 dated 14-10-2015                                                                                                       | ----do----                    | 116052-00     |
| 4                                                    | Construction of cement conc. drain infront of HIG House No. 1A Middle road park enterence and MS grating over drain and MS pipe 6” dia for sewerage Line in front of M.C Shop at Sector-1A Parwanoo. Award Letter No. 1646 dated 18-08-2015 | Sh. Sanjay Kumar Garg         | 122517-00     |
| 5                                                    | Congress Grass cutting all Sector / wards M.C Parwanoo Award Letter No. 1659 dated 18-8-2015                                                                                                                                                | ---do---                      | 200430-00     |
| 6                                                    | Congress Grass cutting all Sector / wards M.C Parwanoo Award Letter No. 1656 dated 18-8-2015                                                                                                                                                | ---do---                      | 173646-00     |
| 7                                                    | Construction of retaining wall and C.C Step opposite block no. 44 Sector-6 Parwanoo phase-2 Award Letter No. 2254 dated 14-10-2015                                                                                                          | ----do---                     | 156370-00     |
| 8                                                    | Construction of retaining wall and C.C Step opposite block no. 44 Sector-6 Parwanoo phase-1 Award Letter No. 2253 dated 14-10-2015                                                                                                          | ----do---                     | 155715-00     |
| 9                                                    | Construction of retaining wall and C.C Step opposite block no. 44 Sector-6 Parwanoo phase-3 Award Letter No. 2255 dated 14-10-2015                                                                                                          | ----do---                     | 150767-00     |
| 10                                                   | Drain cleaning all Sector in M.C Parwanoo Award Letter No. 1658dated 18-8-2015                                                                                                                                                              | ---do---                      | 109650-00     |
| 11                                                   | Drain cleaning all Sector in M.C Parwanoo Award Letter No. 1657dated 18-8-2015                                                                                                                                                              | ---do---                      | 115292-00     |
| 12                                                   | Construction of interlocked paver block in front                                                                                                                                                                                            | Sh. Sahil Sharma              | 144144-00     |

|    |                                                                                                                                                                                                                |                              |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|    | of Sh. M.L Gupta House No. 49-50 ,51 52,53<br>Sector-1 Parwanoo. Award Letter No. 2404<br>dated 04-11-2015                                                                                                     |                              |           |
| 13 | Construction of interlocked paver block in front<br>of Sh. M.L Gupta House No. 49-50 ,51 52,53<br>Sector-1 Parwanoo. Phase-2 Award Letter No.<br>2403 dated 04-11-2015                                         | Sh. Sahil Sharma             | 143487-00 |
| 14 | Construction of cement conc. retaining wall path<br>side from High Mast Light Sector-4 Parwanoo<br>towards residential block No. 8 ,9 Sector-5<br>Parwanoo Phase-2 Award Letter No. 2269 dated<br>14-10-2015   | Sh. Ashwani<br>Thakur        | 137742-00 |
| 15 | Construction of cement conc. retaining wall path<br>side from High Mast Light Sector-4 Parwanoo<br>towards residential block No. 8 ,9 Sector-5<br>Parwanoo Phase-2 Award Letter No. 2270 dated<br>14-10-2015   | Sh. Ashwani<br>Thakur        | 137064-00 |
| 16 | Construction of cement conc. retaining wall back<br>side of Block No.8 Sector-4 Parwanoo Phase-2<br>Award Letter No. 2270 dated 14-10-<br>2015                                                                 | Sh. Ashwani<br>Thakur        | 139852-00 |
| 17 | Construction of cement conc. retaining wall back<br>side of Block No.8 Sector-4 Parwanoo Phase-1<br>Award Letter No. 2269 dated 14-10-<br>2015                                                                 | Sh. Ashwani<br>Thakur        | 148047-00 |
| 18 | Supplying and Manufacturing of MS railing in<br>front of Shiv Temple road side towards M.C<br>shop Sector-1A Parwanoo. Award Letter No.<br>2014-556 dated 13-4-2015                                            | M/S Des Raj<br>Welding works | 500000-00 |
| 19 | Supplying and manufacturing of ms Railing near<br>Shiv Temple both side of step Sector-4 in front<br>of shant vihar colony Block No.14 Sector-1<br>Parwanoo Award letter No. 1665 Dated 18-8-<br>2015          | -----do-----                 | 104895-00 |
| 20 | Construction of cement conc. Retaining wall<br>back side of Residential block Shant vihar colony<br>Road side on existing wall and C.C parapet<br>Sector-1 Parwanoo. Award letter No. 2283 dated<br>14-10-2015 | Sh. Sumit<br>Sharma          | 52731-00  |
| 21 | Construction of cement conc. Road in front of                                                                                                                                                                  | Sh. Saurabh                  | 160708-00 |

|              |                                                                                                                                                                             |                                 |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              | Sh. Tarsem Lal near M.C Shop towards M/S Forge India Ltd. Sector-5 Parwanoo Phase-2 Award Letter No. 2275 dated 14-10-2015                                                  | Daroch                          |                   |
| 22           | Construction of cement conc. Road and Hume pipe M/S Allied Nippon Factory Chowk Sector-5 Parwanoo. Award Letter No. 2282 dated 14-10-2015                                   | ----do---                       | 156036-00         |
| 23           | Construction of cement conc. Road in front of Sh. Tarsem Lal near M.C Shop towards M/S Forge India Ltd. Sector-5 Parwanoo Phase-1 Award Letter No. 2274 dated 14-10-2015    | Sh. Saurabh Daroch              | 162972-00         |
| 24           | Construction of interlocked paver tiles near sh. Terash Ram Jhuggies towards Lord Ganesh Temple Railway Boundary Sector-2 Parwanoo Award Letter No. 1653 Dated 18-8-2015    | M/s Kundan Lal , Hari Ram & Co. | 23925-00          |
| 25           | Construction of cement conc. Retaining wall over Existing wall and earth filling in front of EWS House No. 54 & 55 Sector-4 Parwanoo. Award Letter No. 2396 dated 4-11-2015 | Sh. Chint Ram                   | 120048-00         |
| 27           | Construction of cement conc. Retaining wall in front of Block No. 23-24 Sector-4 Parwanoo. Phase -1 Award Letter No. 579 dated 16-4-2015                                    | Sh. Hoshiar Singh               | 143249-00         |
| 28           | Construction of cement conc. retaining wall in front of Block No. 23 & 24 Nallaha side Sector-4 Parwanoo. Award letter No. 1648 dated 18-8-15                               | Sh. Hoshiar Singh               | 141017-00         |
| 29           | Construction of cement conc. retaining wall in front of Block No. 26 at Nallaha side Sector-4 Parwanoo Award Letter No. 1041 Dated 28-6-2016                                | ----do-----                     | 719407-00         |
| 30           | Construction of cement conc. road in Sector-1A SJVNL office towards Slum Basti Award Letter No. 952 dated 1-6-2016                                                          | ---do----                       | 520250-00         |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                             |                                 | <b>5434938.00</b> |

#### 12.31 स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न किया जाना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष

सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से किया जायेगा साथ ही प्रत्यक्ष सत्यापन और किताबी अभिलेख में अंतर पाये जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। स्टॉक/स्टोर के प्रत्यक्ष सत्यापन के संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु द्वारा मौखिक तौर से सूचित किया गया कि अवधि 04/2015 से 03/2017 के दौरान नगर परिषद के स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसे नियमों अनुसार शीघ्र अति शीघ्र किया जायेगा। अतः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) के अनुसार स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्तमान में स्टॉक/स्टोर का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

### 13. लघु आपत्ति विवरणिका

यह अलग से जारी नहीं कि गई हैं क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

### 14. निष्कर्ष

लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता हैं। इसके साथ ही अंकेक्षण की और से यह सुझाव भी दिया जाता हैं की नगर परिषद परवाणु की आय को बढ़ाने के लिए कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु द्वारा विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/-  
(राकेश कालरा)  
उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.  
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:-सी(15)(5) 66/79 खण्ड VII—6758--6759 दिनांक 18.11.2017 शिमला-09,  
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
  - 2 कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणू तहसील नालागढ़, जिला सोलन हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-  
(राकेश कालरा)  
उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.  
फोन नं० 0177-2620881

**परिशिष्ट क**  
**अंकेक्षण पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में**

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88**

|   |                     |          |                                                                                |
|---|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | पैरा-9 (i) से (iii) | अनिर्णीत |                                                                                |
| 2 | पैरा-15             | अनिर्णीत |                                                                                |
| 3 | पैरा-18             | निर्णीत  | (₹82 G8 Receipt संख्या 48/328 दिनांक 20.8.2013 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)   |
| 4 | पैरा-19             | निर्णीत  | (₹390 G8 Receipt संख्या 48/328 दिनांक 20.8.2013 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)  |
| 5 | पैरा-26             | निर्णीत  | (₹414 G8 Receipt संख्या 92/427 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90**

|   |         |          |                                                                                                             |
|---|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | पैरा-10 | निर्णीत  | (₹1600 G8 Receipt संख्या 93/427 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                             |
| 2 | पैरा-13 | अनिर्णीत |                                                                                                             |
| 3 | पैरा-15 | अनिर्णीत |                                                                                                             |
| 4 | पैरा-22 | अनिर्णीत |                                                                                                             |
| 5 | पैरा-23 | निर्णीत  | (₹2000 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                             |
| 6 | पैरा-27 | निर्णीत  | (₹1625 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                             |
| 7 | पैरा-28 | निर्णीत  | (₹6230 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 और 94/427 दिनांक 01.04.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 8 | पैरा-29 | अनिर्णीत |                                                                                                             |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/95**

|   |            |          |                                                                                                          |
|---|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | पैरा-8 (ग) | अनिर्णीत |                                                                                                          |
| 2 | पैरा-5 (क) | अनिर्णीत |                                                                                                          |
| 3 | पैरा-5 (ख) | अनिर्णीत |                                                                                                          |
| 4 | पैरा-5 (ग) | अनिर्णीत |                                                                                                          |
| 5 | पैरा-7 (2) | निर्णीत  | (₹790 G8 Receipt संख्या 93/421 दिनांक 24.3.2017 और 95/427 दिनांक 01.4.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 6 | पैरा-7 (3) | अनिर्णीत |                                                                                                          |
| 7 | पैरा-7 (4) | निर्णीत  | (₹630 G8 Receipt संख्या 96/421 दिनांक 01.4.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                            |
| 8 | पैरा-8 (क) | अनिर्णीत |                                                                                                          |
| 9 | पैरा-8 (ख) | निर्णीत  | (₹600 G8 Receipt संख्या 96/427 दिनांक 01.4.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                            |

|    |                            |                   |                                                                                  |
|----|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | पैरा-9 (1)                 | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 11 | पैरा-9 (2)                 | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 12 | पैरा-10 (ग)                | आंशिक<br>अनिर्णीत | (₹19500 की वसूली शेष है)                                                         |
| 13 | पैरा-15 (ख)                | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 14 | पैरा-15 (ग)                | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 15 | पैरा-15 (च)                | निर्णीत           | (₹1051 G8 Receipt संख्या 98/427 दिनांक 01.4.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)   |
| 16 | पैरा-15 (छ)                | आंशिक<br>अनिर्णीत | (₹1250 की वसूली शेष है)                                                          |
| 17 | पैरा-16 (7)                | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 18 | पैरा-16 (8)                | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 19 | पैरा-16 (10)               | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 20 | पैरा-17 (1)                | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 21 | पैरा-17 (3)                | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 22 | पैरा-17 (4)                | निर्णीत           | (₹290 G8 Receipt संख्या 99/427 दिनांक 01.4.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)    |
| 23 | पैरा-18 (i) (1)            | निर्णीत           | (₹9072 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)  |
| 24 | पैरा-18 (i) (2)            | निर्णीत           | (₹7805 G8 Receipt संख्या 100/427 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 25 | पैरा-18 (1) (5)            | निर्णीत           | (₹4475 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)  |
| 26 | पैरा-18 (1) (6)            | निर्णीत           | (₹10706 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 27 | पैरा-18 (1) (7)            | निर्णीत           | (₹11502 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 28 | पैरा-18 (3)                | निर्णीत           | (₹12479 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 29 | पैरा-18 (4)                | निर्णीत           | (₹11695 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 30 | पैरा-18 (6)                | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 31 | पैरा-18 (7) (3) से<br>(13) | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 32 | पैरा-19 (1, 2)             | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 33 | पैरा-19 (3) (i) (क)        | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 34 | पैरा-19 (4)                | अनिर्णीत          |                                                                                  |
| 35 | पैरा-19 (5, 6)             | अनिर्णीत          |                                                                                  |

|    |                                                                  |          |                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | पैरा-19 (7) (1) (ख)<br>(ग)                                       | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 37 | पैरा-19 (7) (2, 3, 4,<br>5, 6)                                   | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 38 | पैरा-19 (8) (क, ख,<br>ग, घ)                                      | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 39 | पैरा-19 (9)                                                      | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 40 | पैरा-20 (1)                                                      | निर्णीत  | (₹429 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक<br>24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                  |
| 41 | पैरा-20 (6, 7)                                                   | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 42 | पैरा-22 (1)                                                      | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 43 | पैरा-22 (1) (क, ख,<br>घ, <sup>3</sup> , च, छ, ज, झ)<br>(1, 2, 3) | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 44 | पैरा-23 (2)                                                      | निर्णीत  | (₹500 G8 Receipt संख्या 01/428 दिनांक<br>1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                    |
| 45 | पैरा-24 (1 से 7)                                                 | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 46 | पैरा-24 (12) और<br>(13)                                          | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 47 | पैरा-25 (2) (i)(ii)(iii)<br>(क) (ख) (ग)                          | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 48 | पैरा-25 (2) (iv)                                                 | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 49 | पैरा-25 (3) (क, ख,<br>ग)                                         | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 50 | पैरा-25 (3) (i)(ii)                                              | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 51 | पैरा-25 (4, 5, 6)                                                | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 52 | पैरा-26                                                          | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 53 | पैरा-27 (1) (ख)                                                  | निर्णीत  | (₹1782 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक<br>24.3.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                  |
| 54 | पैरा-27 (1) (ग)                                                  | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 55 | पैरा-27 (1) (घ)                                                  | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 56 | पैरा-27 (2)                                                      | निर्णीत  | (₹4158 G8 Receipt संख्या 02/428 दिनांक<br>1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                   |
| 57 | पैरा-27 (3)                                                      | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रतिपादित)                                                   |
| 58 | पैरा-27 (4)                                                      | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के<br>अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा निर्णीत<br>किया गया) |
| 59 | पैरा-27 (5) (क)                                                  | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 60 | पैरा-27 (5) (ख)                                                  | अनिर्णीत |                                                                                                    |
| 61 | पैरा-28 (1)                                                      | अनिर्णीत |                                                                                                    |

|                                                 |                                 |               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62                                              | पैरा-28 (2)                     | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 63                                              | पैरा-28 (3)                     | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 64                                              | पैरा-28 (4)                     | निर्णीत       | (₹604 G8 Receipt संख्या 05/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                                                           |
| 65                                              | पैरा-28 (5)                     | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 66                                              | पैरा-28 (6)                     | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 67                                              | पैरा-28 (7)                     | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| <b>(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/98</b> |                                 |               |                                                                                                                                                                        |
| 1                                               | पैरा-3 (ख)                      | निर्णीत       | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)                                                                                    |
| 2                                               | पैरा-5 (क, ख, ग, घ, 3, च, छ)    | निर्णीत       | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)                                                                                    |
| 3                                               | पैरा-7 (क)                      | निर्णीत       | (₹24700 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.03.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त। साथ ही ₹1000 G8 Receipt संख्या 34/393 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 4                                               | पैरा-7 (ख)                      | निर्णीत       | (₹12151 G8 Receipt संख्या 06/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                                                         |
| 5                                               | पैरा-9 (ख)                      | निर्णीत       | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)                                                                                    |
| 6                                               | पैरा-9 (ग)                      | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 7                                               | पैरा-10 (क)                     | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 8                                               | पैरा-10 (ख)                     | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 9                                               | पैरा-11 (क)                     | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 10                                              | पैरा-11 (ख)                     | निर्णीत       | (₹3000 G8 Receipt संख्या 07/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                                                          |
| 11                                              | पैरा-11 (ग)                     | निर्णीत       | (₹3000 G8 Receipt संख्या 07/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                                                          |
| 12                                              | पैरा-13 (ग)                     | निर्णीत       | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)                                                                                    |
| 13                                              | पैरा-14 (क) (2)                 | आंशिक निर्णीत | (₹1012 को वसूली शेष है)                                                                                                                                                |
| 14                                              | पैरा-14 (क) (3) (4)             | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 15                                              | पैरा-15 (ख) (1)                 | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 16                                              | पैरा-15 (ख) (2)                 | अनिर्णीत      |                                                                                                                                                                        |
| 17                                              | पैरा-20 (क) (i)(ii)(iii)(iv)(v) | निर्णीत       | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)                                                                                    |

|    |                                                                            |          |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | पैरा-20 (ख)                                                                | निर्णीत  | (₹560 G8 Receipt संख्या 08/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                     |
| 19 | पैरा-21 (ख)                                                                | निर्णीत  | (₹200 G8 Receipt संख्या 06/329 दिनांक 24.8.2013 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                    |
| 20 | पैरा-22 (क)                                                                | निर्णीत  | (₹12700 G8 Receipt संख्या 95/421 दिनांक 24.3.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                  |
| 21 | पैरा-22 (ड)                                                                | निर्णीत  | (₹1861 G8 Receipt संख्या 09/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                    |
| 22 | पैरा-22 (च)                                                                | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)                                              |
| 23 | पैरा-22 (घ)<br>(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)<br>मूल प्रतिवेदन में पैरा<br>22 (छ) | निर्णीत  | (₹8711 G8 Receipt संख्या 10/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                    |
| 24 | पैरा-23 (ग)                                                                | निर्णीत  | (₹593 G8 Receipt संख्या 11/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                     |
| 25 | पैरा-23 (घ)                                                                | निर्णीत  | (₹1636 G8 Receipt संख्या 12/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                    |
| 26 | पैरा-24 (ख)<br>(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)                                     | अनिर्णीत |                                                                                                                                  |
| 27 | पैरा-24 (ग)                                                                | अनिर्णीत |                                                                                                                                  |
| 28 | पैरा-24 (घ) (i)(iii)                                                       | अनिर्णीत |                                                                                                                                  |
| 29 | पैरा-24<br>( <sup>3</sup> )(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)                         | अनिर्णीत |                                                                                                                                  |
| 30 | पैरा-24 (च) (ii)                                                           | अनिर्णीत |                                                                                                                                  |
| 31 | पैरा-24 (ज) (झ) (')                                                        | अनिर्णीत |                                                                                                                                  |
| 32 | पैरा-24 (ठ)                                                                | निर्णीत  | (कुल अग्रिम ₹60637 में से ₹44237 समायोजित और शेष ₹16400 G8 Receipt संख्या 13/428 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 33 | पैरा-24 (ड)                                                                | अनिर्णीत |                                                                                                                                  |
| 34 | पैरा-25 (ii)                                                               | अनिर्णीत |                                                                                                                                  |
| 35 | पैरा-27 (क) (i)                                                            | निर्णीत  | (₹9968 G8 Receipt संख्या 14/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                    |
| 36 | पैरा-27 (क) (ii)                                                           | निर्णीत  | (₹791 G8 Receipt संख्या 15/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                     |
| 37 | पैरा-27 (ख)                                                                | निर्णीत  | (₹5339 G8 Receipt संख्या 16/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)                                                    |
| 38 | पैरा-27 (ग)                                                                | निर्णीत  | (₹15462 G8 Receipt संख्या 17/428 दिनांक                                                                                          |

1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)

|    |                            |          |                                                                                     |
|----|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | पैरा-27 (घ)                | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |
| 40 | पैरा-28 (क)                | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 41 | पैरा-28 (ख)                | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |
| 42 | पैरा-29 (क)                | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |
| 43 | पैरा-29 (ख)                | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |
| 44 | पैरा-29 (घ)                | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 45 | पैरा-30 (क) (1, 2)         | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 46 | पैरा-30 (ख)                | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 47 | पैरा-30 (घ)                | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |
| 48 | पैरा-30 (3, च, छ, ज, झ, ') | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 49 | पैरा-31 (क, ख)             | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 50 | पैरा-32 (क)                | निर्णीत  | (₹360 G8 Receipt संख्या 18/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 51 | पैरा-34 (ए) (ii)           | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 52 | पैरा-34 (बी) (ii)          | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 53 | पैरा-34 (सी) (iii)         | निर्णीत  | (₹325 G8 Receipt संख्या 19/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 54 | पैरा-34 (डी) (ई)           | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 55 | पैरा-34 (एफ)               | निर्णीत  | (₹19181 G8 Receipt संख्या 20/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)      |
| 56 | पैरा-34 (जी)               | निर्णीत  | (₹500 G8 Receipt संख्या 21/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 57 | पैरा-34 (एच)               | निर्णीत  | (₹180 G8 Receipt संख्या 22/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 58 | पैरा-34 (आई)               | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |
| 59 | पैरा-34 (जे)               | निर्णीत  | (₹709 G8 Receipt संख्या 23/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 60 | पैरा-34 (के)               | निर्णीत  | (₹444 G8 Receipt संख्या 24/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 61 | पैरा-34 (एल)               | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |

|                                                  |                               |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 62                                               | पैरा-34 (एन)                  | निर्णीत  | (₹12200 G8 Receipt संख्या 33/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)      |
| 63                                               | पैरा-34 (ओ)                   | निर्णीत  | (₹1305 G8 Receipt संख्या 25/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)       |
| 64                                               | पैरा-34 (पी)                  | निर्णीत  | (₹700 G8 Receipt संख्या 26/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 65                                               | पैरा-34 (आर)                  | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 66                                               | पैरा-34 (एस)                  | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |
| 67                                               | पैरा-34 (टी)                  | निर्णीत  | (₹1000 G8 Receipt संख्या 34/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)       |
| 68                                               | पैरा-34 (यू)                  | निर्णीत  | (₹1812 G8 Receipt संख्या 35/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)       |
| 69                                               | पैरा-34 (वी)                  | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 70                                               | पैरा-34 (एक्स)                | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 71                                               | पैरा-34 (वाई व जेड)           | निर्णीत  | (₹215 G8 Receipt संख्या 27/428 दिनांक 1.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 72                                               | पैरा-34 (ए ए से बी बी, डी डी) | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 73                                               | पैरा-34 (सी सी)               | निर्णीत  | (₹825 G8 Receipt संख्या 36/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 74                                               | पैरा-34 (ई ई)                 | निर्णीत  | (₹2710 G8 Receipt संख्या 37/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)       |
| 75                                               | पैरा-34 (एफ एफ)               | निर्णीत  | (₹760 G8 Receipt संख्या 38/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 76                                               | पैरा-34 (जी जी से जे जे)      | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 77                                               | पैरा-34 (के के)               | निर्णीत  | (₹7900 G8 Receipt संख्या 39/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)       |
| 78                                               | पैरा-34 (एम एम)               | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 79                                               | पैरा-34 (एन एन)               | निर्णीत  | (₹900 G8 Receipt संख्या 40/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 80                                               | पैरा-34 (ओ ओ)                 | निर्णीत  | (₹529 G8 Receipt संख्या 41/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)        |
| 81                                               | पैरा-34 (पी पी)               | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 82                                               | पैरा-34 (क्यू क्यू)           | निर्णीत  | (₹9784 G8 Receipt संख्या 42/428 दिनांक 3.7.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)       |
| 83                                               | पैरा-34 (आर आर)               | अनिर्णीत |                                                                                     |
| <b>(3) अंकेक्षण प्रतिवदन अवधि 4/98 से 3/2005</b> |                               |          |                                                                                     |
| 1                                                | पैरा-5 (1)                    | अनिर्णीत |                                                                                     |
| 2                                                | पैरा-5 (2)                    | अनिर्णीत |                                                                                     |

|    |                    |          |
|----|--------------------|----------|
| 3  | पैरा-5 (3)         | अनिर्णीत |
| 4  | पैरा-6 (2)         | अनिर्णीत |
| 5  | पैरा-6 (3)         | अनिर्णीत |
| 6  | पैरा-6 (4)         | अनिर्णीत |
| 7  | पैरा-7 (1)         | अनिर्णीत |
| 8  | पैरा-7 (2)         | अनिर्णीत |
| 9  | पैरा-7 (3)         | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा-7 (4)         | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा-8 (1)         | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा-8 (2)         | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा-8 (3)         | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा-9 (1)         | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा-9 (2)         | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा-9 (3)         | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा-9 (4)         | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा-9 (5) 1 से 3  | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा-9 (6)         | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा-9 (7)         | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा-9 (8)         | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा-9 (9)         | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा-10 (1)        | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा-10 (2)        | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा-10 (3)        | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा-10 (4)        | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा-10 (5)        | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा-11 (क)        | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा-11 (ख)        | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा-11 (ग) 1 से 3 | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा-11 (घ)        | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा-12 (1)        | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा-12 (2)        | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा-12 (3)        | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा-12 (4)        | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा-12 (5)        | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा-13 (4)        | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा-13 (5)        | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा-14 (1)        | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा-14 (2)        | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा-14 (3)        | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा-15 (1)        | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा-15 (2)        | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा-16 (2)        | अनिर्णीत |

|    |                     |          |                                                                                   |
|----|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | पैरा-16 (5)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 46 | पैरा-17 (1)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 47 | पैरा-17 (2) (क)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 48 | पैरा-17 (2) (ख)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 49 | पैरा-18 (1)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 50 | पैरा-18 (2)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 51 | पैरा-21             | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 52 | पैरा-22             | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 53 | पैरा-23 (ख)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 54 | पैरा-23 (ग) (1)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 55 | पैरा-23 (ग) (2)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 56 | पैरा-23 (ग) (3)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 57 | पैरा-23 (ग) (4) (1) | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 58 | पैरा-23 (ग) (4) (2) | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 59 | पैरा-25 (क) (1)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 60 | पैरा-25 (क) (2)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 61 | पैरा-25 (ख) (1)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 62 | पैरा-25 (ख) (2)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 63 | पैरा-25 (ख) (3)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 64 | पैरा-26 (1)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 65 | पैरा-26 (2)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 66 | पैरा-26 (3)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 67 | पैरा-26 (4)         | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 68 | पैरा-27 (1) (क)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 69 | पैरा-27 (1) (ख)     | निर्णीत  | (₹1738 G8 Receipt संख्या 28/428 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)   |
| 70 | पैरा-27 (1) (ग)     | निर्णीत  | (₹910 G8 Receipt संख्या 30/428 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)    |
| 71 | पैरा-27 (2) (क)     | निर्णीत  | (₹1738 G8 Receipt संख्या 30/428 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)   |
| 72 | पैरा-27 (2) (ख)     | निर्णीत  | (₹980 G8 Receipt संख्या 31/428 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)    |
| 73 | पैरा-27 (2) (ग)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 74 | पैरा-27 (3) (क)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 75 | पैरा-27 (3) (ख)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 76 | पैरा-27 (3) (ग)     | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निणीत किया गया) |
| 77 | पैरा-27 (3) (घ)     | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त पैरा निणीत किया गया) |
| 78 | पैरा-27 (3) (3)     | अनिर्णीत |                                                                                   |
| 79 | पैरा-27 (4) (क)     | निर्णीत  | (₹10000 G8 Receipt संख्या 43/428 दिनांक 03.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त)  |
| 80 | पैरा-27 (4) (ख)     | निर्णीत  | (नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत उत्तर के                                        |

|     |                  |                                                                                        |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | अवलोकन के उपरान्त पैरा निणीत किया गया)                                                 |
| 81  | पैरा-27 (4) (ग)  | निर्णीत (₹144 G8 Receipt संख्या 32/428 दिनांक 01.07.2017 से जमा करवाए जाने के उपरान्त) |
| 82  | पैरा-27 (4) (घ)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 83  | पैरा-27 (5) (क)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 84  | पैरा-27 (5) (ख)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 85  | पैरा-27 (5) (ग)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 86  | पैरा-27 (5) (घ)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 87  | पैरा-27 (5) (3)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 88  | पैरा-27 (6)      | अनिर्णीत                                                                               |
| 89  | पैरा-27 (8) (क)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 90  | पैरा-27 (8) (ख)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 91  | पैरा-27 (8) (ग)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 92  | पैरा-27 (8) (घ)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 93  | पैरा-27 (9) (क)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 94  | पैरा-27 (10) (क) | अनिर्णीत                                                                               |
| 95  | पैरा-27 (10) (ख) | अनिर्णीत                                                                               |
| 96  | पैरा-27 (10) (ग) | अनिर्णीत                                                                               |
| 97  | पैरा-27 (10) (घ) | अनिर्णीत                                                                               |
| 98  | पैरा-27 (10) (3) | अनिर्णीत                                                                               |
| 99  | पैरा-27 (10) (च) | अनिर्णीत                                                                               |
| 100 | पैरा-27 (11) (क) | अनिर्णीत                                                                               |
| 101 | पैरा-27 (11) (ख) | अनिर्णीत                                                                               |
| 102 | पैरा-27 (11) (ग) | अनिर्णीत                                                                               |
| 103 | पैरा-27 (11) (घ) | अनिर्णीत                                                                               |
| 104 | पैरा-27 (11) (3) | अनिर्णीत                                                                               |
| 105 | पैरा-27 (12) (क) | अनिर्णीत                                                                               |
| 106 | पैरा-27 (12) (ख) | अनिर्णीत                                                                               |
| 107 | पैरा-27 (12) (ग) | अनिर्णीत                                                                               |
| 108 | पैरा-27 (12) (घ) | अनिर्णीत                                                                               |
| 109 | पैरा-27 (13)     | अनिर्णीत                                                                               |
| 110 | पैरा-28 (1)      | अनिर्णीत                                                                               |
| 111 | पैरा-28 (2)      | अनिर्णीत                                                                               |
| 112 | पैरा-28 (3)      | अनिर्णीत                                                                               |
| 113 | पैरा-28 (4)      | अनिर्णीत                                                                               |
| 114 | पैरा-28 (5) (क)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 115 | पैरा-28 (5) (ख)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 116 | पैरा-28 (5) (ग)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 117 | पैरा-28 (5) (घ)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 118 | पैरा-28 (5) (3)  | अनिर्णीत                                                                               |
| 119 | पैरा-28 (5) (p)  | अनिर्णीत                                                                               |

|     |                 |          |
|-----|-----------------|----------|
| 120 | पैरा-28 (6)     | अनिर्णीत |
| 121 | पैरा-28 (7)     | अनिर्णीत |
| 122 | पैरा-28 (8) (1) | अनिर्णीत |
| 123 | पैरा-28 (8) (2) | अनिर्णीत |
| 124 | पैरा-28 (9)     | अनिर्णीत |
| 125 | पैरा-28 (10)    | अनिर्णीत |

**(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007**

|    |                   |          |
|----|-------------------|----------|
| 1  | पैरा-4 (vi)       | अनिर्णीत |
| 2  | पैरा-4 (vii)      | अनिर्णीत |
| 3  | पैरा-4 (x)        | अनिर्णीत |
| 4  | पैरा-4 (xi)       | अनिर्णीत |
| 5  | पैरा-4 (xiii)     | अनिर्णीत |
| 6  | पैरा-4 (xiv)      | अनिर्णीत |
| 7  | पैरा-4 (xv)       | अनिर्णीत |
| 8  | पैरा-4 (xvi)      | अनिर्णीत |
| 9  | पैरा-4 (xvii)     | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा-4 (xviii)    | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा-4 (xx)       | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा-4 (xxi)      | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा-4 (vii)      | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा-6            | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा-6 (i) (क)    | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा-6 (i) (ख)    | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा-7 (i) (क)    | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा-7 (i) (ख)    | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा-7 (i) (घ)    | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा-7 (i) (छ)    | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा-7 (i) (ज)    | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा-7 (ii)       | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा-7 (vi)       | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा-7 (vii)      | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा-7 (viii) (क) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा-7 (viii) (ख) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा-8 (i)        | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा-8 (iii)      | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा-9 (ii)       | अनिर्णीत |

**(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009**

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| 1 | पैरा-6 (घ) | अनिर्णीत |
|---|------------|----------|

|    |                   |          |
|----|-------------------|----------|
| 2  | पैरा-6 (च)        | अनिर्णीत |
| 3  | पैरा-6 (झ)        | अनिर्णीत |
| 4  | पैरा-7 (झ)        | अनिर्णीत |
| 5  | पैरा-9 (क) (1)    | अनिर्णीत |
| 6  | पैरा-9 (क) (3)    | अनिर्णीत |
| 7  | पैरा-9 (ख)        | अनिर्णीत |
| 8  | पैरा-9 (ग) (1)    | अनिर्णीत |
| 9  | पैरा-9 (ग) (2)    | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा-9 (ग) (3)    | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा-9 (छ)        | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा-9 (')        | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा-9 (ठ)        | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा-9 (ड)        | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा-9 (ढ)        | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा-9 (त)        | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा-10 (क)       | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा-11 (क) व (ख) | अनिर्णीत |

**(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011**

|    |           |          |
|----|-----------|----------|
| 1  | पैरा-4    | अनिर्णीत |
| 2  | पैरा-7    | अनिर्णीत |
| 3  | पैरा-7.1  | अनिर्णीत |
| 4  | पैरा-7.2  | अनिर्णीत |
| 5  | पैरा-9    | अनिर्णीत |
| 6  | पैरा-10   | अनिर्णीत |
| 7  | पैरा-12.1 | अनिर्णीत |
| 8  | पैरा-13   | अनिर्णीत |
| 9  | पैरा-17   | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा-17.1 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा-21   | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा-23   | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा-26   | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा-26.1 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा-26.2 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा-26.3 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा-27   | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा-27.1 | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा-27.2 | अनिर्णीत |

**(') अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013**

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| 1 | पैरा-7   | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-8.1 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-8.3 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा-8.6 | अनिर्णीत |

|    |               |          |
|----|---------------|----------|
| 5  | पैरा-8.7      | अनिर्णीत |
| 6  | पैरा-8.10     | अनिर्णीत |
| 7  | पैरा-9.1      | अनिर्णीत |
| 8  | पैरा-10.1     | अनिर्णीत |
| 9  | पैरा-10.2     | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा-10.4     | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा-10.8 (i) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा-10.9     | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा-10.10    | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा-13 (क)   | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा-13 (ख)   | अनिर्णीत |

**(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015**

|    |                    |          |                                                                                                                            |
|----|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | पैरा-5 (i)         | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)                                                                            |
| 2  | पैरा-5 (ii) से (v) | अनिर्णीत |                                                                                                                            |
| 3  | पैरा-6             | अनिर्णीत |                                                                                                                            |
| 4  | पैरा-7             | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)                                                                            |
| 5  | पैरा-8             | निर्णीत  | (वास्तविक स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में)                                                                           |
| 6  | पैरा-8 (1)         | अनिर्णीत |                                                                                                                            |
| 7  | पैरा-8 (2)         | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)                                                                            |
| 8  | पैरा-9 व 9 (i)     | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)                                                                            |
| 9  | पैरा-10            | निर्णीत  | (वास्तविक स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में)                                                                           |
| 10 | पैरा-11            | अनिर्णीत |                                                                                                                            |
| 11 | पैरा-12            | निर्णीत  | (वास्तविक स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में)                                                                           |
| 12 | पैरा-13            | निर्णीत  | (वास्तविक स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में)                                                                           |
| 13 | पैरा-14            | निर्णीत  | (वास्तविक स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में)                                                                           |
| 14 | पैरा-14 (i)        | निर्णीत  | (कृत कार्यवाही के आधार पर)                                                                                                 |
| 15 | पैरा-15            | अनिर्णीत |                                                                                                                            |
| 16 | पैरा-16            | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)                                                                            |
| 17 | पैरा-17            | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)                                                                            |
| 18 | पैरा-18            | निर्णीत  | (₹5300 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 06/402 दिनांक 06.01.2016 और जी-8 रसीद संख्या 29/402 दिनांक 27.01.2016 से करने के उपरान्त) |
| 19 | पैरा-19            | अनिर्णीत |                                                                                                                            |
| 20 | पैरा-20            | अनिर्णीत |                                                                                                                            |
| 21 | पैरा-20 (क)        | निर्णीत  | (₹9405 माप पुस्तिका संख्या 87 पृष्ठ 31, 33 पर कटौती करने के उपरान्त)                                                       |
| 22 | पैरा-20 (ख)        | निर्णीत  | (₹20069 की वसूली वाउचर संख्या 40 दिनांक 23.11.2016 से करने के उपरान्त)                                                     |
| 23 | पैरा-20 (ग)        | निर्णीत  | (₹19307 की वसूली वाउचर संख्या 40 दिनांक 23.11.2016 से करने के उपरान्त)                                                     |

|    |                   |          |                                                                                           |
|----|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | पैरा-20 (घ)       | निर्णीत  | (₹1380 की वसूली वाउचर संख्या 40 दिनांक 23.11.2016 से करने के उपरान्त)                     |
| 25 | पैरा-20 (३)       | निर्णीत  | (₹18777 की वसूली वाउचर संख्या 40 दिनांक 23.11.2016 से करने के उपरान्त)                    |
| 26 | पैरा-21           | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 27 | पैरा-22 (1) (i)   | निर्णीत  | (₹1103 की वसूली वाउचर संख्या 37 दिनांक 19.12.2015 से करने के उपरान्त (MB 86 P. 58 to 61)) |
| 28 | पैरा-22 (2) (i)   | निर्णीत  | (₹120 की वसूली वाउचर संख्या 37 दिनांक 19.12.2015 से करने के उपरान्त (MB 86 P. 58 to 61))  |
| 29 | पैरा-22 (2) (ii)  | निर्णीत  | (₹985 की वसूली वाउचर संख्या 37 दिनांक 19.12.2015 से करने के उपरान्त (MB 86 P. 58 to 61))  |
| 30 | पैरा-22 (2) (iii) | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 31 | पैरा-22 (3)       | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 32 | पैरा-22 (4)       | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 33 | पैरा-22 (5) (i)   | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 34 | पैरा-22 (5) (ii)  | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 35 | पैरा-22 (5) (iii) | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 36 | पैरा-23           | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 37 | पैरा-24           | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 38 | पैरा-24 (1)       | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 39 | पैरा-24 (2)       | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 40 | पैरा-25           | अनिर्णीत |                                                                                           |
| 41 | पैरा-26           | निर्णीत  | (₹12661 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 62/402 दिनांक 18.2.2016 से करने के उपरान्त)             |
| 42 | पैरा-27           | निर्णीत  | (₹1856 की वसूली वाउचर संख्या 40 दिनांक 23.11.2016 से करने के उपरान्त)                     |
| 43 | पैरा-28 (i)       | निर्णीत  | (₹5319 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 28/411 दिनांक 22.6.2016 से करने के उपरान्त)              |
| 44 | पैरा-28 (ii)      | निर्णीत  | (₹3843 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 28/411 दिनांक 22.6.2016 से करने के उपरान्त)              |
| 45 | पैरा-29 (1)       | निर्णीत  | (₹618 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 28/411 दिनांक 22.6.2016 से करने के उपरान्त)               |
| 46 | पैरा-29 (2)       | निर्णीत  | (₹1711 की वसूली जी-8 रसीद संख्या                                                          |

|    |                   |          |                                                                                            |
|----|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |          | 28/411 दिनांक 22.6.2016 से करने के उपरान्त)                                                |
| 47 | पैरा-29 (3)       | निर्णीत  | (₹5175 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 28/411 दिनांक 22.6.2016 से करने के उपरान्त)               |
| 48 | पैरा-30 (i)       | निर्णीत  | (₹1355 की वसूली वाउचर संख्या 34 दिनांक 17.12.2015 से करने के उपरान्त)                      |
| 49 | पैरा-30 (ii) (क)  | निर्णीत  | (₹423 की वसूली वाउचर संख्या 34 दिनांक 17.12.2015 से करने के उपरान्त)                       |
| 50 | पैरा-30 (ii) (ख)  | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 51 | पैरा-30 (iii)     | निर्णीत  | (₹97 की वसूली MB No. 83 P. No. 75 से करने के उपरान्त)                                      |
| 52 | पैरा-30 (iv)      | निर्णीत  | (₹57287 की वसूली वाउचर संख्या 34 दिनांक 17.12.2015 से करने के उपरान्त MB No. 83 P. No. 75) |
| 53 | पैरा-30 (2) (क)   | निर्णीत  | (₹1083 की वसूली वाउचर संख्या 34 दिनांक 17.12.2015 से करने के उपरान्त MB No. 83 P. No. 75)  |
| 54 | पैरा-30 (2) (ख)   | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 55 | पैरा-31 (1) व (2) | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 56 | पैरा-32 (क) व (ख) | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 57 | पैरा-33           | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 58 | पैरा-34           | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 59 | पैरा-35           | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)                                            |
| 60 | पैरा-36           | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 61 | पैरा-37 (क, ख)    | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 62 | पैरा-38 (क)       | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 63 | पैरा-38 (ख)       | निर्णीत  | (₹42 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 96/402 दिनांक 09.03.2016 से करने के उपरान्त)                |
| 64 | पैरा-39           | निर्णीत  | (₹209 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 96/402 दिनांक 09.03.2016 से करने के उपरान्त)               |
| 65 | पैरा-40 (क)       | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 66 | पैरा-40 (ख)       | अनिर्णीत |                                                                                            |
| 67 | पैरा-40 (ग)       | निर्णीत  | (₹476 की वसूली जी-8 रसीद संख्या 96/402 दिनांक 09.03.2016 से करने के उपरान्त)               |

### अनिर्णीत पैरों का सार

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| दिनांक 31.3.2015 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष     | 436 |
| (+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे        | 9   |
| (-) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे | 122 |
| दिनांक 31.3.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष       | 323 |